

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 मार्च 2025—फाल्गुन 16, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, अंबिका बाई पुत्री हरिदास पत्नी श्री ओगर दास (AMBIKA BAI D/o HARIDAS W/o OGAR DAS) निवासी—एमसी के 2/4, आर टू पन्नी मोहल्ला, सुहागी, आधारताल, जबलपुर, विवाह पूर्व मेरा नाम अनामिका (ANAMIKA) था, मेरा विवाह श्री ओगर दास से होने के उपरान्त अंबिका बाई (AMBIKA BAI) रखा गया जो मेरे परिचय—पत्र एवं मेरे पति के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज है। मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड में अनामिका दर्ज है। प्रकाशन उपरान्त मुझे अंबिका बाई (AMBIKA BAI) के नाम से जाना—पहचाना जावे एवं सभी शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(अनामिका)
(ANAMIKA)

(G-845)

नया नाम

(अंबिका बाई)
(AMBIKA BAI).

नाम परिवर्तन

मैं, मोनिश खान (MONISH KHAN) पिता श्री अब्दुल शहीद खान (ABDUL SHAHEED KHAN) निवासी—जिला सतना (म.प्र.). मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम शाहिद खान (SHAHID KHAN) लिखा हुआ है जो गलत है। जबकि मेरे पिता का सही नाम अब्दुल शहीद खान (ABDUL SHAHEED KHAN) है। अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम अब्दुल शहीद खान (ABDUL SHAHEED KHAN) पढ़ा व लिखा जावे।

प्रार्थी

(मोनिश खाँन)

पुत्र— श्री अब्दुल शहीद खाँन

(G-846)

नाम परिवर्तन

सूचित हो कि विवाह पूर्व मेरा नाम सारिका जैन पिता प्रेमचन्द्र जैन था एवं मेरा विवाह प्रताप पाटिल के साथ संपन्न होने के पश्चात मेरा नाम सारिका पाटिल हो गया था और माननीय कुटुम्ब न्यायालय इंदौर के आदेश के अनुसार मेरा विवाह विच्छेद प्रताप पाटिल के साथ हो गया है और अब मैं, प्रकाशन उपरांत वर्तमान एवं भविष्य में अपने पूर्व नाम सारिका जैन से जानी व पहचानी जाऊंगी।

प्रार्थीनी

(सारिका)

पिता— प्रेमचन्द्र जैन
निवासी—382, वीआईपी परस्पर नगर
स्लाइस 4, स्कीम नंबर 97,
इंदौर (म.प्र.).

(G-847)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, साधना सराठे पति स्व. श्री मोहनलाल सराठे निवासी—म.न. 483, घाटी भड़भूजा, चमेली वाली गली, तलैया रोड भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम रानी पत्नी मोहनलाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। जबकि मेरा सही नाम साधना सराठे पति श्री मोहनलाल सराठे है जो कि सत्य है। प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम साधना सराठे पति स्व. श्री मोहनलाल सराठे के नाम से जाना—पहचाना व लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(रानी)

पति—श्री मोहनलाल सराठे

नया नाम

(साधना सराठे)

पति— स्व. श्री मोहनलाल सराठे।

(G-848)

PUBLIC NOTICE

It is Informed to the general public that in some documents my name is registered as SHYAMA KUNWAR RATHORE and in some documents my name is registered as SHYAMA RATHORE and SHYAMA JITENDRA SINGH RATHORE. All the above the same mentioned names are my name and from and future I should be known and identified by my real name SHYAMA KUNWAR RATHORE.

Applicant

(SHYAMA KUNWAR RATHORE)

Add.- Motapala, Barwet,
Petlawad Dist. Jhabua (M.P.).

(G-849)

नाम परिवर्तन

मैं, छोटी बाई पत्नी श्री भगवत, निवासी—167 ग्राम—बगलवाड़ा, तहसील—बरेली जिला—रायसेन, (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नन्ही बाई नाम दर्ज हो गया है। जो कि गलत है, मेरा सही नाम छोटी बाई (CHHOTI BAI) पत्नी भगवत है जो कि मेरे शासकीय दस्तावेजों में अंकित है, प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय / अद्वशासकीय व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम छोटी बाई (CHHOTI BAI) पत्नी भगवत के नाम से जाना—पहचाना व लिखा, पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(नन्ही बाई)

(G-850)

नया नाम

(छोटी बाई)

(CHHOTI BAI)

पत्नी—भगवत।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश राहुल अंकित हो गया है, जबकि मेरा वास्तविक नाम राहुल गौड़ है. जो मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. प्रकाशन उपरांत मुझे राहुल गौड़ के नाम से ही जाना व पहचाना जायेगा.

प्रार्थी

(राहुल गौड़)

पुत्र— बनवारी लाल.

निवासी— कुंडीबे, जिला राजगढ़ (म.प्र.).

(G-851)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रीति लता पटेल पिता श्री गुलाब चंद पटेल, निवासी—475, गढ़ा रोड अग्रवाल कॉलोनी, डॉक्टर रोमा चटर्जी के सामने, कमला नेहरू, वार्ड जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरा नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं आधार कार्ड में प्रीति लता पटेल अंकित है. परंतु मेरे पेन कार्ड, वोटर कार्ड आई.डी. एवं कुछ शैक्षणिक एवं शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम प्रीतिलता पटेल है एवं पिता का नाम गुलाब चंद पटेल के नाम से जाना, पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थीनी

(प्रीति लता पटेल).

पिता— गुलाब चंद पटेल

(G-852)

नाम परिवर्तन

मैं, मनोज कुमार (Manoj kumar) पिता श्री नत्था अहिरवार निवासी— F-37 राजदेव कालोनी, नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल(म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम लट्टू अहिरवाल (Lattoo Ahirwal) अंकित हैं. मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, तथा अन्य दस्तावेजों में मनोज कुमार (Manoj kumar) पिता श्री नत्था अहिरवाल के नाम से अंकित है दोनों नाम लट्टू अहिरवाल (Lattoo A hirwal) एवं मनोज कुमार (Manoj kumar) पिता श्री नत्था अहिरवार मेरे ही नाम हैं प्रकाशन उपरांत मुझे मनोज कुमार (Manoj kumar) पिता श्री नत्था अरिवार नाम से जाना जाए.

प्रार्थी

(मनोज कुमार).

(G-853)

नाम परिवर्तन

मैं आशीष जैन (Ashish Jain) आत्मज श्री रमेशचंद्र जैन, निवासी—मकान नं.—304 ए, मोती महल, स्कीम नं. 71 कस्तेरा बाजार स्कूल के सामने, जिला इंदौर (म.प्र.) सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मैं, आशीष बम (Ashish Bum) आत्मज श्री रमेशचंद्र जैन मेरे शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज था. जबकि मेरा सही नाम आशीष जैन (Ashish Jain) आत्मज श्री रमेशचंद्र जैन है एवं मैं, उसी नाम से जाना पहचाना जाता हूँ जो कि सही है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आशीष जैन (Ashish Jain) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

नया नाम

(आशीष जैन)

(Ashish Jain).

पुराना नाम

(आशीष बम)

(Ashish Bum)

(G-854)

NAME OF CHANGE

I, hereby announce that my name, which was earlier Nidisha Trivedi, shall be Aarna Trivedi.

Applicant

(ANKIT TRIVEDI)

Father- Aarna Trivedi.

(G-855)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद आकिल निवासी—वार्ड क्र. 10, गली न. 1, अर्जुन नगर, औबेदुल्लागंज, (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अरहान खान Arhan Khan दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरे पुत्र का सही नाम मोहम्मद अरहान Mohammad Arhan पिता मोहम्मद आकिल Mohammad Akil है जो कि अन्य शासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम मोहम्मद अरहान Mohammad Arhan पिता—मोहम्मद आकिल Mohammad Akil के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा, पढ़ा दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(मोहम्मद आकिल)

(MOHAMMAD AKIL).

(G-856)

नाम परिवर्तन

मैं, सारिका आशीष बम (Sarika Ashish Bum) पत्नी श्री आशीष, निवासी—मकान नं.-304 ए, मोती महल, स्कीम नं. 71, कसेरा बाजार स्कूल के सामने, जिला इंदौर (म.प्र.). सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मैं, सारिका आशीष बम (Sarika Ashish Bum) के आधार कार्ड एवं पेन कार्ड में मेरा नाम सारिका आशीष बम (Sarika Ashish Bum) लिखा है जबकि मेरा सही नाम सारिका जैन (Sarika Jain) पत्नी श्री आशीष जैन है जो कि सही है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सारिका जैन के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(सारिका आशीष बम)

(सारिका जैन)

(SARIKA ASHISH BUM)

(SARIKA JAIN)

पत्नी— श्री आशीष जैन.

(G-857)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रिया पति कुन्दन किशोर, निवासी एन.एच. 1, डी.-27, एनटीपीसी कॉलोनी विन्ध्यनगर, थाना विन्ध्यनगर, तहसील व जिला सिंगरौली, (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सोनी स्वीटी दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरा सही नाम प्रिया है जो कि मेरे दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम प्रिया पति कुन्दन किशोर के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा, पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(सोनी स्वीटी)

(प्रिया)

पति— कुन्दन किशोर.

(G-858)

नाम परिवर्तन

मैं, जगदीश प्रसाद पिता श्री तीर्थराज, निवासी—वार्ड नं. 15, कावेरी कुंज कालोनी, मालवीयगंज, इटारसी, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम जगदीश प्रसाद कुलदीप पिता श्री तीर्थराज हैं जो कि सत्य व सही है. मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम जगदीश प्रसाद भी मेरा ही नाम है. ये दोनों मेरे ही नाम है. प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम जगदीश प्रसाद कुलदीप पिता श्री तीर्थराज के नाम से जाना—पहचाना व लिखा, पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(जगदीश प्रसाद)	(जगदीश प्रसाद कुलदीप)
(G-859)	पिता— श्री तीर्थराज.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जीशान खान (Zeeshan Khan) S/o सौलत अजीज़ खान (Saulat Aziz Khan) निवासी—वार्ड न. 3, फाज़दार मोहल्ला, रायसेन (म.प्र.). मेरी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम Jishan Khan मेरे पिता का नाम सौलत अजीज़ (Saulat Azeez) एवं माता का नाम तरन्नुम (Tarannum) दर्ज है जो कि गलत है. जबकि मेरा सही नाम जीशान खान (Zeeshan Khan) पिता सौलत अजीज़ खान (Saulat Aziz Khan) एवं माता तरन्नुम खान (Tarannum Khan) है जो कि सही एवं सत्य है. अतः प्रकाशन के उपरांत मुझे मेरे सही नाम जीशान खान (Zeeshan Khan) पिता सौलत अजीज़ खान (Saulat Aziz Khan) एवं माता तरन्नुम खान (Tarannum Khan) के नाम से जाना—पहचाना व लिखा, पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(JISHAN KHAN)	(जीशान खान)
पिता— सौलत अजीज़	(ZEESHAN KHAN)
(SAULAT AZEEZ)	पिता— सौलत अजीज़ खान
माता— तरन्नुम	(SAULAT AZIZ KHAN)
(TARANNUM)	माता—तरन्नुम खान
(G-860)	(TARANNUM KHAN).

नाम परिवर्तन

मैं, अनीता कुशवाहा पत्नी श्री रामगोपाल कुशवाहा, निवासी—ग्राम जिखनगॉव, तहसील व जिला निवाड़ी, (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश काशीबाई कुशवाहा नाम दर्ज हो गया है, जो गलत है, जबकि अन्य शासकीय दस्तावेजों पर अनीता कुशवाहा (ANITA KUSHWAHA) नाम दर्ज है जो सही है, राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम अनीता कुशवाहा (ANITA KUSHWAHA) पत्नी श्री रामगोपाल कुशवाहा से जाना—पहचाना व लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(काशीबाई कुशवाहा)	(अनीता कुशवाहा)
(G-861)	(ANITA KUSHWAHA)
	पत्नी — श्री रामगोपाल कुशवाहा.

नाम परिवर्तन

मैं, मुन्नी बाई साहू पत्नी श्री रामगोपाल साहू, निवासी—ग्राम राजपुर, जिला—अशोकनगर, (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश सावित्री बाई नाम दर्ज हो गया है, जो गलत है, जबकि मेरे बोटर कार्ड व अन्य शासकीय दस्तावेजों पर मुन्नी बाई साहू (MUNNI BAI SAHU) नाम दर्ज है जो कि सही है, प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम मुन्नी बाई साहू (MUNNI BAI SAHU) से जाना—पहचाना व लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सावित्री बाई)	(मुन्नी बाई साहू)
(G-862)	(MUNNI BAI SAHU).

नाम परिवर्तन

मैं, अजय कुमार सेन पुत्र श्री रमेश प्रसाद सेन, निवासी—वार्ड 10, प्रथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश अजय सेन नाम दर्ज हो गया है, जबकि मेरे शैक्षिक एवं अन्य दस्तावेजों पर पूरा नाम अजय कुमार सेन (AJAY KUMAR SEN) नाम दर्ज हैं जो कि सही है। प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम अजय कुमार सेन (AJAY KUMAR SEN) से जाना—पहचाना व लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(अजय सेन)

(AJAY SEN)

(G-863)

नया नाम

(अजय कुमार सेन)

(AJAY KUMAR SEN).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गुलाब पिता लक्ष्मण निवासी—दर्जी मोहल्ला, आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम ज्ञान सिंह पिता मोतीलाल दर्ज हो गया है जो गलत है, जबकि मेरा सही नाम गुलाब पिता लक्ष्मण है जो कि मेरे अन्य शासकीय अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज है जो सही एवं सत्य है। प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम गुलाब पिता लक्ष्मण के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा, पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(ज्ञान सिंह)

पिता— मोतीलाल

(G-864)

नया नाम

(गुलाब)

पिता— लक्ष्मण.

नाम परिवर्तन

मैं, रविन्द्र कुमार (RAVINDRA KUMAR) पुत्र श्री सुभाष चन्द्र, निवासी—बी 232, पुष्पा नगर कॉलोनी, चांदबड़, भोपाल (म.प्र.). मेरा पुराना नाम है। अब मेरा नया नाम रविन्द्र कुमार त्रिपाठी (RAVINDRA KUMAR TRIPATHI) पुत्र श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी है। प्रकाशन उपरांत मुझे इसी नाम से जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(रविन्द्र कुमार)

(RAVINDRA KUMAR)

(G-865)

नया नाम

(रविन्द्र कुमार त्रिपाठी)

(RAVINDRA KUMAR TRIPATHI).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरी पुत्री का नाम नव्या पिता धीरज सुपलेकर था एवं मेरा नाम अंजली पति धीरज सुपलेकर था। मैंने अपने पति धीरज पिता अर्जुनराव सुपलेकर से परिवार न्यायालय, इन्दौर से तलाक प्राप्त कर लिया है। मैंने तलाक प्राप्त करने के बाद विनायक पिता हरिदास तायडे से विवाह कर लिया है और मेरा नाम अंजली पति विनायक तायडे हो गया है। इसी प्रकार मेरी पुत्री का नाम नव्या माता अंजली विनायक तायडे हो गया है। अतः मेरी पुत्री का नाम नव्या अंजली धीरज सुपलेकर के स्थान पर नव्या पिता विनायक तायडे हो गया है और भविष्य में मेरी पुत्री को नव्या पिता विनायक तायडे के नाम से जाना व पहचाना जावे।

प्रार्थी

(अंजली)

पति— विनायक तायडे

पता— 27, नार्थ हरसिंही,

इन्दौर (म.प्र.).

(G-866)

नाम परिवर्तन

मैं, सुशील कुमार रैकवार पुत्र स्व. श्री धोकल प्रसाद रैकवार, निवासी—काकागंज वार्ड, वार्ड नं. 44, रानीपुरा, जिला—सागर, (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड व पेन कार्ड पर त्रुटिवश सुशील कुमार मांझी नाम दर्ज हो गया है, जो गलत है, जबकि मेरे शैक्षिक दस्तावेजों पर सुशील कुमार रैकवार (SUSHIL KUMAR RAIKWAR) नाम दर्ज है जो कि सही है, अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम सुशील कुमार रैकवार (SUSHIL KUMAR RAIKWAR) से जाना—पहचाना व लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सुशील कुमार मांझी)	(सुशील कुमार रैकवार)
(G-867)	(SUSHIL KUMAR RAIKWAR).

नाम परिवर्तन

मैं, अर्जुन कारपेंटर ARJUN KAR-PENTER आत्मज श्री आत्माराम कारपेंटर, निवासी—ग्राम दुटीयाहेडी, पोस्टपांदा, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़, (म.प्र.), पता म.न. 145, रूपनगर, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरे नाम सरनेम की स्पेलिंग ARJUN KARPENTAR गलत दर्ज हो गई है. मेरे ड्रायविंग लायर्सेंस पर मेरे नाम सरनेम की सही स्पेलिंग ARJUN KARPENTER दर्ज है जो सही है. प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम सरनेम ARJUN KARPENTER ही सभी स्थान पर लेख व मान्य किया जाये.

प्रार्थी	प्रार्थी
(अर्जुन कारपेंटर).	(अर्जुन कारपेंटर).
(G-868)	

नाम परिवर्तन

मैं, सादिक अली पुत्र श्री नन्हे खां, निवासी—मकान नं.—08, पन्त नगर, अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश सिद्दीकी अली नाम दर्ज हो गया है, एवं कुछ दस्तावेजों में सिद्दिक अली भी दर्ज है जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड व अन्य शासकीय दस्तावेजों पर सादिक अली (SADIK ALI) नाम दर्ज है जो कि सही है, अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम सादिक अली (SADIK ALI) से जाना—पहचाना व लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सिद्दीकी अली)	(सादिक अली)
सिद्दिक अली	.
(G-869)	(SADIK ALI).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मैं, झापुबाई कनास (JHAPUBAI KANAS) मेरे आधार कार्ड में नाम धापुबाई कनास (DHAPUBAI KANAS) है जबकि मेरा सही नाम झापुबाई कनास (JHAPUBAI KANAS) है जो कि मेरे कुछ शासकीय दस्तावेजों में है. एवं अन्य दस्तावेजों में झापुबाई कनास (JHAPUBAI KANAS) है. मैं, अपना नाम धापुबाई कनास (DHAPUBAI KANAS) के स्थान पर झापुबाई कनास (JHAPUBAI KANAS) करवाना चाहती हूँ अप्रकाशन के उपरांत मेरे सही नाम झापुबाई कनास (JHAPUBAI KANAS) से जानी व पहचानी जाऊँगी.

प्रार्थीनी	प्रार्थीनी
(झापुबाई कनास)	(JHAPUBAI KANAS).
(G-870)	

नाम परिवर्तन

मैं, शपथकर्ता मनमोहन लाल चौधरी पिता श्री तुलाराम चौधरी, जाति चमार, निवासी—ग्राम वार्ड नं. 01, निवारी टोला, थाना, लखनादौन, जिला सिवनी (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम मनमोहन लाल चौधरी जो मेरे शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है जो सही है, आधार कार्ड एवं परिचय पत्र में मनमोहन सिंह दर्ज है जो गलत है, मेरा वास्तविक नाम मनमोहन लाल चौधरी है। प्रकाशन उपरांत मुझे शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में मनमोहन लाल चौधरी पिता श्री तुलाराम चौधरी नाम से पढ़ा एवं लिखा जावे।

(G-871)

प्रार्थी

(मनमोहन सिंह)

पता— वार्ड क्र. 1, निवारी टोला थाना, लखनादौन, जिला सिवनी, हाल पुलिस लाईन, डिण्डौरी (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, जसवंत सिंह अहिरवार पुत्र श्री वाला अहिरवार, निवासी—ग्राम कुचवाडा, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश जसमन हरिजन नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड एवं जन्म प्रमाण—पत्र पर जसवंत सिंह अहिरवार (JASWANT SINGH AHIRWAR) नाम दर्ज है जो कि सही है, प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अद्वशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम जसवंत सिंह अहिरवार (JASWANT SINGH AHIRWAR) से जाना—पहचाना व लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

(G-872)

पुराना नाम

(जसमन हरिजन)

नया नाम

(जसवंत सिंह अहिरवार)

(JASWANT SINGH AHIRWAR).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वंदना राजपूत पुत्री दामोदर सिंह राजपूत, निवासी—पारि. घटीगांव, ग्वालियर (म.प्र.). यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम वंदना अंकित है और कुछ शासकीय दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में मेरा वंदना राजपूत अंकित है। अतः वंदना एवं वंदना राजपूत यह दोनों नाम मेरे ही हैं। प्रकाशन उपरांत मुझे वंदना राजपूत के नाम से जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

(G-873)

प्रार्थी

(वंदना राजपूत).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कुंवर राज अहिरवार (KUNVAR RAJ AHIRWAR) अंकित हो गया है मेरा वास्तविक और सही नाम कल्यान सिंह अहिरवार (KALYAN SINGH AHIRWAR) है। प्रकाशन उपरांत मुझे मेरा सही नाम कल्यान सिंह अहिरवार (KALYAN SINGH AHIRWAR) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जाए।

(G-874)

पुराना नाम

(कुंवर राज अहिरवार)
(KUNVER RAJ AHIRWAR)

नया नाम

(कल्यान सिंह अहिरवार)
(KALYAN SINGH AHIRWAR)

पिता— मोती लाल अहिरवार
पता—ग्राम चिरोली, पोस्ट सेहराई,
चिरोली, अशोक नगर, (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, अनिकेत सोनी पिता स्व. श्री पवन कुमार सोनी, निवासी—वार्ड नं. 29, तुलसी चौराहा, पाण्डेन टोला, कटरा, जैन मंदिर के पास, तहसील जिला रीवा (म.प्र.). सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अनिकेत सोनी है मेरा शैक्षणिक रिकार्ड एवं अन्य शासकीय रिकार्ड में अनिकेत सोनी अंकित है. जो कि सही व सत्य है तथा मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश घरेलु नाम अंशु सोनी दर्ज हो गया है जो कि गलत है. प्रकशन उपरांत मुझे अंशु सोनी के स्थान पर अनिकेत सोनी पढ़ा और लिखा माना जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(अंशु सोनी)

(अनिकेत सोनी)

(G-875)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं बृज भूषण नायक पुत्र स्व. श्री बिन्द्रावन नायक मेरा वास्तविक नाम बृज भूषण नायक है आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम बृज किशोर नायक अंकित हो गया है. प्रकाशन उपरांत अपने वास्तविक नाम बृज भूषण नायक के नाम से जाना—पहचाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

आवेदक

(बृज भूषण नायक)

पुत्र— स्व. श्री बिन्द्रावन नायक

पता— मकान नं.—184 / 1, ग्राम रमपुरा,

जिला निवाड़ी तहसील पृथ्वीपुर, (म.प्र.).

(G-876)

नाम परिवर्तन

मैं, चारूलता लोही (CHARULATA LOHI) पत्नी श्री दुर्वास रामरावजी लोही, निवासी—एच—489, आधारशिला, ईस्ट ब्लॉक, अवधपुरी, भोपाल मेरा पुराना नाम है. मेरा नया नाम चारू लोही (CHARU LOHI) पत्नी श्री दुर्वास रामरावजी लोही, के नाम से जाना एवं पहचाना जाएगा.

पुराना नाम

नया नाम

(चारूलता लोही)

(चारू लोही)

(CHARULATA LOHI)

(G-877)

(CHARU LOHI)

नाम परिवर्तन

मैं, शपथकर्ता राजू सिंह मरावी पिता श्री हिम्मत सिंह मरावी जाति गोंड, निवासी—ग्राम भैंसवाही, पो.आ. हरदुली, तह. कुण्डम, जिला जबलपुर (म.प्र.). यह कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में वास्तविक नाम राजू सिंह पिता श्री हिम्मत सिंह दर्ज है. जो मैं, अपना नाम राजू सिंह पिता हिम्मत सिंह के बाद सरनेम मरावी जुड़वाना चाहता हूँ भविष्य में मुझे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में राजू सिंह मरावी (Raju Singh Maravi) पिता श्री हिम्मत सिंह मरावी (Himmat Singh Maravi) के नाम से पढ़ा एवं लिखा जावे.

प्रार्थी

(राजू सिंह)

पिता— हिम्मत सिंह

निवासी— ग्राम भैंसवाही पो.आ. हरदुली,

तह. कुण्डम, जिला जबलपुर (म.प्र.).

(G-878)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दीपक सिंह परिहार, पिता प्रताप सिंह परिहार, निवासी—वार्ड नं. 02, भटेरा चौकी बालाघाट (म.प्र.). मैं, अपने पुत्र चंचल सिंह परिहार पिता दीपक सिंह परिहार के इस नाम का त्याग कर नया नाम अर्थव सिंह परिहार (ATHARV SINGH PARIHAR) पिता दीपक सिंह परिहार रख लिया है। मेरे पुत्र के समस्त शासकीय एवं अद्वशासकीय शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरे पुत्र के पुराने नाम चंचल सिंह परिहार के स्थान पर नया नाम अर्थव सिंह परिहार (ATHARV SINGH PARIHAR) लिखा व अंकित किया जावे। मेरे पुत्र को नये नाम अर्थव सिंह परिहार (ATHARV SINGH PARIHAR) के नाम से जाना व पहचाना जाएगा।

प्रार्थी

(दीपक सिंह परिहार).

(G-879)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व का नाम पायल अहीरे पुत्री वसंत अहीरे था जो कि शादी के पश्चात् मैंने अपने नाम को परिवर्तित कर श्रीमती पायल ब्राम्हणे पत्नी विवेक कुमार ब्राम्हणे कर लिया है। यह दोनों नाम मेरे ही हैं। मुझे मेरे सही व वर्तमान नाम श्रीमती पायल ब्राम्हणे पत्नी विवेक के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम

(पायल अहीरे)

पुत्री— वसंत अहीरे

नया नाम

(पायल ब्राम्हणे)

पत्नी— विवेक कुमार ब्राम्हणे

(G-880)

नाम परिवर्तन

मैं, रोहित अहिरवार आत्मज श्री लक्ष्मीनारायण अहिरवार, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम रोहन अहिरवार गलत अंकित हो गया है, जबकि मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/दस्तावेजों में मेरा सही नाम रोहित अहिरवार दर्ज है, प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम रोहित अहिरवार के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय/दस्तावेजों में लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(रोहन अहिरवार)

नया नाम

(रोहित अहिरवार)

पता— ग्राम धमरा, तहसील बैरसिया,
जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-881)

नाम परिवर्तन

मैं, आदिल अली आत्मज सैयद याकूब अली (Adil Ali S/o Saiyad Yakoob Ali) सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे शैक्षणिक एवं अन्य सभी दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम याकूब अली त्रुटिपूर्ण दर्ज हो गया है, जबकि पिता का सही नाम सैयद याकूब अली है, जोकि मेरे एवं मेरे पिता के अन्य सभी दस्तावेजों में दर्ज है, अतः मेरे शैक्षणिक एवं अन्य सभी दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम याकूब अली के स्थान पर सैयद याकूब अली नाम पढ़ा जाये।

प्रार्थी

(आदिल अली)

निवासी— ई-295, न्यू मिनल रेसीडेंसी,
जे.के. रोड, जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-882)

नाम परिवर्तन

प्रार्थीया श्रीमती शारदा पंवार पति मोहन सिंह पंवार, निवासी—मकान न. एन—373, वार्ड नं. 13, नीम के पेड़ के सामने, टाटा नगर, गली न.04, रतलाम (म.प्र.) की है। प्रार्थीया का नाम कुछ शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मनोरमा पंवार पति मोहन सिंह पंवार अंकित है, दोनों नाम एक ही महिला के हैं। भविष्य में प्रार्थीया को शारदा पति मोहन सिंह पंवार (SHARDA W/o MOHAN SINGH PANWAR) के नाम से जाना—पहचाना जावे। उक्त संशोधन हेतु यह प्रकाशन करवाया जा रहा है।

प्रार्थीया

(शारदा पंवार)

पति— मोहन सिंह पंवार।

(G-883)

नाम परिवर्तन

प्रार्थी सुमित पाटीदार पिता लक्ष्मीनारायण पाटीदार, निवासी—122, ग्राम दन्तोड़िया, तह. व जिला रतलाम (म.प्र.) का निवासी है एवं प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में बचपन का नाम गजानंद पिता लक्ष्मीनारायण सरपस्त यशोधरा व यशोधर दर्ज है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। भविष्य में प्रार्थी को सुमित पाटीदार पिता लक्ष्मीनारायण पाटीदार के नाम से जाना—पहचाना जावे।

प्रार्थी

(सुमित पाटीदार)

पिता— लक्ष्मीनारायण पाटीदार।

(G-884)

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, सुनील कुमार नाई आत्मज श्री सुरेश प्रसाद, मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरे पिता का नाम सुरेश कुमार नाई (SURESH KUMAR NAI) दर्ज है तथा मेरे अन्य शासकीय अभिलेख में मेरे पिता का नाम सुरेश प्रसाद नाई (SURESH PRASAD NAI) दर्ज है। मैं, अपने सेवा अभिलेख में अपना नाम सुनील कुमार नाई (SUNIL KUMAR NAI) पिता श्री सुरेश कुमार नाई (SURESH KUMAR NAI) के स्थान पर सुनील कुमार नाई (SUNIL KUMAR NAI) पिता श्री सुरेश प्रसाद नाई (SURESH PRASAD NAI) संशोधित कर दर्ज कराना चाहता हूँ इसी नाम से मुझे जाना—पहचाना एवं लिखा, पढ़ा जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(सुरेश कुमार नाई)

(सुरेश प्रसाद नाई)

(SURESH KUMAR NAI)

(SURESH PRASAD NAI)

(G-885)

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, पंचम लाल आत्मज श्री बाबू लाल, मेरे सेवा अभिलेख में मेरा नाम पंचम लाल (PANCHAM LAL) एवं पिता का नाम बाबू लाल (BABU LAL) दर्ज है। मेरे आधार कार्ड एवं अन्य शासकीय अभिलेख में मेरा नाम पंचम लाल बेन (PANCHAM LAL BEN) पिता श्री बाबू लाल बेन (BABU LAL BEN) दर्ज है। प्रकाशन उपरांत मुझे पंचम लाल बेन (PANCHAM LAL BEN) पिता श्री बाबू लाल बेन (BABU LAL BEN) के नाम से मुझे जाना—पहचाना एवं लिखा, पढ़ा जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(पंचम लाल)

(पंचम लाल बेन)

पिता— बाबू लाल

पिता— बाबू लाल बेन

(G-886)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम सुशीला देवी (SUSHEELA DEVI) पत्नी ख. श्रवण सिंह (LATE SHRAWAN SINGH) निवासी—सेक्टर —4, विनय नगर, ग्वालियर (म.प्र.). जो मेरे आधार कार्ड, बैंक खाते, पेन कार्ड में अंकित है जो कि त्रुटि पूर्ण है मेरा नया नाम गुड़ड़न देवी (GUDDAN DEVI) पत्नी ख. श्रवण सिंह (LATE SHRAWAN SINGH) है. जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं पति के सेवा अभिलेख में अंकित है जो कि सही है. प्रकाशन उपरांत मुझे नये नाम गुड़ड़न देवी (GUDDAN DEVI) पत्नी ख. श्रवण सिंह (LATE SHRAWAN SINGH) के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा दर्ज किया जाए.

पुराना नाम (सुशीला देवी) (SUSHEELA DEVI)	नया नाम (गुड़ड़न देवी) (GUDDAN DEVI) पत्नी— ख. श्रवण सिंह (LATE SHRAWAN SINGH).
(G-887)	_____

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पुराना नाम रामकुँवर था, जिसे मैंने परिवर्तित कर कुसुम यादव रख लिया है. अब से मुझे केवल परिवर्तित नाम कुसुम यादव से ही जाना और पहचाना जाए.

पुराना नाम (रामकुँवर)	नया नाम (कुसुम यादव)
(G-888)	पता— हाउस नं. 42, केन्द्रीय विद्यालय क्र—1, न्यू बिल्डिंग के पीछे, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स गुलशन राय जैन II जिसका पंजीयन क्रमांक 03—27—03—00051—12 व पंजीयन दिनांक 29—5—2012 तथा पता— ए—948 स्किम नंबर 114 पार्ट 1 विजय नगर इंदौर जिला इंदौर है जिसमें विलेख 1—4—2019 वाले भागीदारी डीड में 2 भागीदार 1.— श्री नवीन जैन पिता श्री गुलशन राय जैन 2.— डॉ निति जैन पति श्री नवीन जैन थे. दिनांक 12—7—2022 को फर्म की एक भागीदार डॉ निति जैन का देहांत हो गया. जिस कारण दिनांक 18—7—2022 को नए विलेख का संधारण किया गया तथा फर्म में एक नए भागीदार श्री पारस जैन पिता श्री संजय जैन को शामिल किया गया. अतः वर्तमान में फर्म में शेष 2 भागीदार हैं जो इस प्रकार हैं :— 1. श्री नवीन जैन पिता श्री गुलशन राय जैन 2. श्री पारस जैन पिता श्री संजय जैन.

फर्म— मेसर्स गुलशन राय जैन II (भागीदार).	नवीन जैन (भागीदार).
(G-889)	_____

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स एम जी ऑयल्स पंजीयन क्रमांक 03-32-01-00258-14 व पंजीयन दिनांक 5-3-2014 तथा पता ग्राम फतेहपुर पंचाना रोड खंडवा है जिसमे प्रथम विलेख दिनांक 16-9-2013 के विलेख अनुसार फर्म में 5 भागीदार 1.- श्रीमती संतोष देवी बंसल पति स्व. राजकुमार उर्फ सुभाष चंद बंसल 2.- श्री सुनील कुमार बंसल पिता स्व. राजकुमार उर्फ सुभाष चंद बंसल 3.- श्री . विनोद कुमार बंसल पिता स्व. राजकुमार उर्फ सुभाष चंद बंसल 4.- श्रीमती अंजलि बंसल पति श्री सुनील बंसल 5.- श्रीमती जयश्री बंसल पति श्री विनोद कुमार बंसल थे. दिनांक 1-4-2023 को फर्म से 3 भागीदार 1.- श्रीमती संतोष देवी बंसल पति स्व. राजकुमार उर्फ सुभाष चंद बंसल 2.-श्रीमती अंजलि बंसल पति श्री सुनील बंसल 3.- श्रीमती जयश्री बंसल पति श्री विनोद कुमार बंसल सेवानिवृत्त हो गए तथा इसी दिन फर्म में दो नए भागीदार 1.- श्री वेदांत बंसल पिता श्री सुनील बंसल 2.- श्री सिद्धांत बंसल पिता श्री सुनील बंसल फर्म में शामिल हो गए, अतः वर्तमान में फर्म में कुल 4 भागीदार हैं जो इस प्रकार हैं :- 1. श्री विनोद कुमार बंसल पिता स्व. राजकुमार उर्फ सुभाष चंद बंसल 2. श्री सुनील कुमार बंसल पिता स्व. राजकुमार उर्फ सुभाष चंद बंसल 3. श्री वेदांत बंसल पिता श्री सुनील बंसल 4. श्री सिद्धांत बंसल पिता श्री सुनील बंसल हैं.

फर्म— मेसर्स एम जी ऑयल्स

सुनील कुमार बंसल
(भागीदार)
पता—मानसरोवर, नियर जैन मंदिर,
रामकृष्ण गंज, खंडवा (म.प्र.).

(G-890)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म सी.के. रियल्टी पंजीयन क्रमांक 03-47-02-0535-23 व पंजीयन दिनांक 13-3-2023 तथा पता 203 सी.के. कैपस बहादरपुर रोड बुरहानपुर एक पंजीकृत फर्म है जिसमे प्रथम विलेख दिनांक 1-8-2022 के विलेख अनुसार फर्म में 2 भागीदार 1.- श्री राहुल कुमार अग्रवाल पिता श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल 2.- श्री प्रेम कुमार मित्तल पिता श्री ओमप्रकाश मित्तल थे. दिनांक 14-10-2024 को फर्म से 2 भागीदार 1.- श्री राहुल कुमार अग्रवाल पिता श्री नरेन्द्र कुमार अग्रवाल 2.- श्री प्रेम कुमार मित्तल पिता श्री ओमप्रकाश मित्तल फर्म से पृथक हो गए तथा इसी दिन फर्म में 3 नए भागीदार 1. श्रीमती पूजा गोलानी पति श्री बलराम गोलानी 2. श्री बलराम गोलानी पिता श्री जानीमल गोलानी 3. श्री शिशिर गुप्ता पिता श्री रामेश्वर दास गुप्ता फर्म में शामिल हो गए अतः वर्तमान में फर्म में भागीदार शेष हैं जो इस प्रकार हैं:- 1. श्रीमती पूजा गोलानी पति श्री बलराम गोलानी 2. श्री बलराम गोलानी पिता श्री जानीमल गोलानी 3. श्री शिशिर गुप्ता पिता श्री रामेश्वर दास गुप्ता साथ ही दिनांक 14-10-2024 के विलेख अनुसार फर्म का पता बदलकर नया पता—C/O बलराम गोलानी न्यू शिवम गारमेंट्स के बाजु में बुधवारा बाजार खंडवा 450001 हो गया है.

फर्म— सी.के. रियल्टी

बलराम गोलानी
(भागीदार)

पता— शिव पार्वती निवास, रामेश्वर रोड,
चम्पानगर, खंडवा (म.प्र.).

(G-891)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म VEMOULD पंजीयन क्रमांक 03-27-02-0255-22 व पंजीयन दिनांक 28-9-2022 तथा पता— के./ औं. श्रेय पाटीदार हनुमान गली 497 गवली पलासिया, महू जिला इंदौर एक पंजीकृत फर्म है जिसमे प्रथम विलेख दिनांक 22-8-2022 के अनुसार फर्म में 4 भागीदार 1. श्री श्रेय पाटीदार पिता श्री मनोज पाटीदार 2. श्री पवन पाटीदार पिता श्री विजय पाटीदार 3. श्रीमति रेणुका पाटीदार पति श्री विश्वास पाटीदार 4. श्रीमति कामिनी पाटीदार पति श्री मुकेश पाटीदार थे. दिनांक 9-9-2024 को फर्म से 2 भागीदार 1. श्री श्रेय पाटीदार पिता श्री मनोज पाटीदार 2. श्रीमति कामिनी पाटीदार पति श्री मुकेश पाटीदार फर्म से पृथक हो गए तथा इसी दिन फर्म में एक नए भागीदार 1. श्री गगन पाटीदार पिता श्री भूपेंद्र पाटीदार फर्म में शामिल हो गए अतः वर्तमान में फर्म में 3 भागीदार शेष हैं:- 1. श्री पवन पाटीदार पिता श्री विजय पाटीदार 2. श्रीमति रेणुका पाटीदार पति श्री विश्वास पाटीदार 3. श्री गगन पाटीदार पिता श्री भूपेंद्र पाटीदार साथ ही दिनांक 9-9-2024 के विलेख अनुसार फर्म का पता बदलकर नया पता—32-2-1, ओल्ड ए.वी. रोड, गवली पलासिया, तहसील महू, जिला इंदौर 453441 हो गया है.

फर्म— VEMOULD

पवन पाटीदार
(भागीदार)

पता— 110, मेहतवाडा, महेश्वर,
जिला खरगोन (म.प्र.).

(G-892)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स श्री टेलिकॉम एंड इंडस्ट्रियल सोल्युशन क्रमांक 03-27-01-0389-15 व पंजीयन दिनांक 27-2-2015 तथा पता-176 ए प्रजापत नगर, इंदौर, जिला इंदौर है जिसमें प्रथम विलेख दिनांक 8-12-2008 के विलेख अनुसार फर्म में 2 भागीदार 1. श्री मितेश पाराशर पिता श्री बालगोविन्द पाराशर 2. श्री भागवत सिंह जादम पिता श्री बद्रीप्रसाद जादम थे. दिनांक 24-2-2024 को फर्म से 1. भागीदार श्री भागवत सिंह जादम पिता श्री बद्रीप्रसाद जादम सेवानिवृत्त हो गए तथा इसी दिन फर्म में एक नई भागीदार श्रीमती श्वेता पाराशर पति मितेश पाराशर फर्म में शामिल हो गयीं तत्पश्चात दिनांक 11-9-2024 को फर्म में एक नए भागीदार श्री नरेन्द्र कुमार बंसल पिता श्री सत्यनारायण बंसल शामिल हो गए अंतः वर्तमान में फर्म में कुल 3 भागीदार हैं जो इस प्रकार हैं:- 1. श्री मितेश पाराशर पिता श्री बालगोविन्द पाराशर 2. श्रीमती श्वेता पाराशर पति मितेश पाराशर 3. श्री नरेन्द्र कुमार बंसल पिता श्री सत्यनारायण बंसल है.

फर्म— मेसर्स श्री टेलिकॉम एंड इंडस्ट्रियल सोल्युशन

मितेश पाराशर

(भागीदार).

(G-893)

आम सूचना

मे. Crystal Hall फर्म के भागीदार श्री मोहम्मद हुसैन पिता श्री नजामुद्दीन पाकावाला, निवासी-16 रीतुवन रामबाग, कलेक्टोरेट परिसर, रतलाम (म.प्र.) से प्राप्त प्रतिबोधन एवं निर्देशानुसार सर्वसाधारण एवं आमजन को सूचित किया जाता है कि श्री युनुस पिता श्री नजामुद्दीन पाकावाला तथा श्री ईशाक पिता श्री नजामुद्दीन पाकावाला, निवासी-16 रीतुवन रामबाग, कलेक्टोरेट परिसर, रतलाम, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा एक फर्म अंतर्गत इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की धारा 58(1) द्वारा उज्जैन पंजीयक कार्यालय से विधिवत रूप से पंजीयन करवाई गई थी जिसका पंजीयन क्रमांक 07-37-1-0098-16 होकर सन 2015-16 है जिसके अंतर्गत पंजीयन करवाकर दिनांक 12-2-2016 को फर्मों के रजिस्ट्रार सहायक पंजीयक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया था तब से जाहिर सूचना प्रकाशन दिनांक तक पार्टनर के तौर पर कार्य करते आ रहे हैं परन्तु भविष्य में मेरे द्वारा उक्त मे. Crystal Hall फर्म का व्यावसाय बंद कर चुके हैं, जिस कारण उक्त फर्म संचालित नहीं करना चाहते हैं. इसी कारण उक्त फर्म विधिवत विघटित (Dissolution) किये जाने हेतु कार्यवाही मेरे द्वारा कर ली गई है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ.

फर्म— Crystal Hall

मोहम्मद हुसैन

(भागीदार).

(G-894)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम शोभा जैन/शोभा देवी जैन पिता वर्धमान जैन (Shobha Jain/Shobha Devi Jain D/o Vardhman Jain) था जो मेरा पूर्व नाम था. शादी के बाद मेरा नाम बदलकर शोभना मेहता पति नवनीत मेहता (Shobhana Mehta W/o Navneet Mehta) हो गया है जो मेरे दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर पर दर्ज है एवं उपरोक्त दोनों नाम शोभा जैन/शोभा देवी जैन पिता वर्धमान जैन (Shobha Jain/Shobha Devi Jain D/o Vardhman Jain) एवं शोभना मेहता पति नवनीत मेहता (Shobhana Mehta W/o Navneet Mehta) एक ही महिला अर्थात मेरे हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे नए नाम शोभना मेहता पति नवनीत मेहता (Shobhana Mehta W/o Navneet Mehta) से ही जाना—पहचाना, लिखा, पढ़ा व बोला जाये.

पुराना नाम

(शोभा जैन/शोभा देवी जैन)

पिता— वर्धमान जैन

नया नाम

(शोभना मेहता)

पति— नवनीत मेहता

निवासी— 184 के रकीम, न 71/ए,

जिला इंदौर (म.प्र.).

(G-895)

Change of Name

It is to be informed to the general public that my daughter, Seraa Sharad Nair D/o Sharad Chandra Nair presently resident of 1, Alok Nagar, Kanadia Road, Indore (M.P.), earlier known by the name of Serra Nair D/o Sharad Nair has changed to Seraa Sharad Nair D/o Sharad Chandra Nair for all purposes Heneeforth she shall be known as Seraa Sharad Nair D/o Sharad Chandra Nair only.

Old Name	New Name
(SERRA NAIR)	(SERAA SHARAD NAIR)
D/o Sharad Nair	D/o Sharad Chandra Nair
(G-896)	Resident- 1, Alok Nagar, Kanadia Road, Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती हेमलता चावड़ा (HEMLTA CHAVDA) पत्नी स्व. श्री प्रमोद कुमार चावड़ा (PRAMOD KUMAR CHAVDA), निवासी-355, ई.डब्ल्यू एम. मुखर्जी नगर देवास, तहसील-देवास, जिला-देवास. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम शुभांगी चावड़ा (SHUBHANGI CHAWADA) पत्नी श्री प्रमोद कुमार चावड़ा (PRAMOD KUMAR CHAWADA) अंकित हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में हेमलता चावड़ा (HEMLTA CHAVDA) पत्नी स्व. श्री प्रमोद कुमार चावड़ा (PRAMOD KUMAR CHAVDA) दर्ज है जो कि सही है, अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय/व्यक्तिगत एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम हेमलता चावड़ा (HEMLTA CHAVDA) पत्नी स्व. श्री प्रमोद कुमार चावड़ा (PRAMOD KUMAR CHAVDA) से जाना-पहचाना व लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शुभांगी चावड़ा) (SHUBHANGI CHAWADA)	(हेमलता चावड़ा) (HEMLTA CHAVDA)
(G-897)	पत्नी— स्व. श्री प्रमोद कुमार चावड़ा (PRAMOD KUMAR CHAVDA)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, इन्द्रजीत सिंह तोमर (Indrajeet Singh Tomar) पुत्र श्री नागेन्द्र सिंह तोमर मेरा पुत्र प्रशांत सिंह तोमर (Prashant Singh Tomar) जिसके आधार कार्ड में उसका नाम पुष्पेन्द्र सिंह (Pushpendra Singh) पुत्र श्री इन्द्रजीत सिंह (Indrajit Singh) अंकित है किंतु मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम प्रशांत सिंह तोमर (Prashant Singh Tomar) पुत्र इन्द्रजीत सिंह तोमर (Indrajeet Singh Tomar) है. प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को प्रशांत सिंह तोमर (Prashant Singh Tomar) पुत्र इन्द्रजीत सिंह तोमर (Indrajeet Singh Tomar) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये.

आवेदक	(इन्द्रजीत सिंह तोमर) (INDRAJEET SINGH TOMAR) पता— म.नं. 35, वार्ड 2, ग्राम पीपलयानानकर, देवास (म.प्र.).
(G-898)	

नाम परिवर्तन

मैं, दरखिण्डा खान पति श्री आजम मोहम्मद, निवासी—एफ ई— 135/1 प्रोफेसर कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) का होकर सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे सेवा अभिलेख में मेरा नाम दरखिण्डा जबी खान दर्ज है। मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिचय पत्र में मेरा नाम दरखिण्डा खान अंकित है तथा मैं, अब दरखिण्डा खान नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ, जिसे शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों में मान्य किया जाए।

पुराना नाम

नया नाम

(दरखिण्डा जबी खान)

(दरखिण्डा खान)।

(G-899)

नाम परिवर्तन

मैं, सुरपति दानेश आत्मज स्व. एस. गुरुमुर्ति केवट (Surpati Danesh S/o Late S. Gurumurti Kewat), निवासी म.नं. 1408/48 जी, रक्षा कर्मचारी कालोनी, राँझी, जबलपुर (म.प्र.). सर्वसाधारण को सूचित कर रहा हूँ कि मेरे शैक्षणिक एवं अन्य शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम दानेश (Danesh) दर्ज है जोकि मेरा पुराना नाम है, मेरा नया नाम सुरपति दानेश (Surpati Danesh) है जो मेरे पुत्र की अंकसूची में दर्ज है। उपरोक्त दोनों दानेश (Danesh) एवं सुरपति दानेश (Surpati Danesh) मेरे ही नाम हैं। प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त शासकीय एवं अर्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सुरपति दानेश (Surpati Danesh) दर्ज किया जावे एवं अब मुझे सुरपति दानेश (Surpati Danesh) के नाम से जाना—पहचाना जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(दानेश)

(सुरपति दानेश)

(DANESH)

(SURPATI DANESH).

(G-900)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सरकारी सेवा के पहचान पत्र में त्रुटिवश नाम अनुराग ठाकुर पुत्र हरज्ञान सिंह जाट अंकित हो गया है, आज से मुझे अनुराग जाट पुत्र हरज्ञान सिंह जाट, निवासी—H-4, रतन कॉलोनी, कनक गार्डन पीछे, जैल रोड, करोंद भोपाल के तौर पर जाना जाये। मेरे सभी सरकारी दस्तावेजों एवं सेवा पहचान पत्र में यहीं नाम अंकित किया जाएगा।

प्रार्थी

(अनुराग जाट)

पुत्र—हरज्ञान सिंह जाट।

(G-901)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती प्रेम बाई महोबिया पत्नी स्व. परम लाल महोबिया (Smt. Prem Bai Mahobia W/o Late Param Lal Mahobia) निवासी म.नं. 2992, किशन होटल, गली नं. 3, भुमिया मोहल्ला, सुदर्शन वार्ड, राँझी, जबलपुर (म.प्र.). सर्वसाधारण को सूचित कर रही हूँ कि मध्यप्रदेश शासन के द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु मेरे पक्ष में जारी पी.पी.ओ. में मेरा नाम प्रेमा बाई (Prema Bai) दर्ज है जोकि मेरा पुराना नाम है जबकि मेरा नया एवं सही नाम प्रेम बाई महोबिया (Prem Bai Mahobia) है जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, फोटो पहचान—पत्र में दर्ज है तथा उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। प्रकाशन के उपरांत मेरे पी.पी.ओ., तथा समस्त शासकीय एवं अर्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नया एवं सही नाम प्रेम बाई महोबिया (Prem Bai Mahobia) दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(प्रेमा बाई)

(प्रेम बाई महोबिया)

(PREMA BAI)

(PREM BAI MAHOBIA).

(G-902)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद अदनान हुसैन (MOHD ADNAN HUSSAIN) पिता श्री मोहम्मद मज़हर हुसैन (MOHD MAZHAR HUSSAIN) निवासी म.नं. 637 / 1, भानतलैया, प्रताप बिल्डिंग के बाजु से खेरमाई, वार्ड जबलपुर (म.प्र.). यह कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम मोहम्मद अदनान हुसैन (MOHD ADNAN HUSSAIN) दर्ज है एवं सरकारी दस्तावेजों में मेरा नाम मोहम्मद अदनान हुसैन (MOHD ADNAN HUSSAIN) दर्ज है जो कि सही नाम है। प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम मो. अदनान हुसैन (MO. ADNAN HUSSAIN) के स्थान पर सही नाम मोहम्मद अदनान हुसैन (MOHD ADNAN HUSSAIN) दर्ज किया जाये।

आवेदक

(मोहम्मद अदनान हुसैन)
(MOHD ADNAN HUSSAIN).

(G-903)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आधार कार्ड में मेरा नाम जबर सिंह शेखावत (JABAR SINGH SHEKHAWAT) था। जिसे मैंने संशोधित कर झबर सिंह (JHABAR SINGH) पिता श्री सोहन सिंह अंकित करवाना चाहता हूँ। अतः मुझे भविष्य में इसी नाम से जाना—पहचाना जावे।

पुराना नाम

(जबर सिंह शेखावत)

(JABAR SINGH SHEKHAWAT)

नया नाम

(झबर सिंह)

(JHABAR SINGH)

पिता— सोहन सिंह

पता— प्रथम वाहिनी, विसबल केवलरी लाईन,

इन्दौर (म.प्र.).

(G-904)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम वृष्टिवश वेदिका गुप्ता (VEDIKA GUPTA) अंकित हो गया है जबकि मेरी पुत्री का सही नाम अग्रिषा गुप्ता (AGRISA GUPTA) है, जो उसके जन्म प्रमाण—पत्र में अंकित है। प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को अग्रिषा गुप्ता (AGRISA GUPTA) के नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(सुधीर गुप्ता)

पता— वार्ड नंबर 14,

हनुमान मंदिर के पास, सोहागपुर

जिला शहडोल (म.प्र.).

(G-905)

आम सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 62 के अधीन सूचना—पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरसर्स शिवाय ट्रैकटर्स, सुभाष वार्ड, नर्मदापुरम, पिपरिया रोड, सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम, (म.प्र.). जिसका पंजीयन क्र. 01-07-04-0154-23 सन् 2023-2024, दिनांक 25-8-2023 को किया गया था। इस फर्म में दो भागीदार हैं, भागीदारी फर्म मेरसर्स शिवाय ट्रैकटर्स से श्रीमती राजकुमारी तिवारी पति श्री महेंद्र कुमार तिवारी दिनांक 13-2-2025 से पृथक हो रही हैं एवं फर्म मेरसर्स शिवाय ट्रैकटर्स में नये भागीदार श्री अभिषेक सिंह पिता श्री हीरामणि सिंह, दिनांक 13-2-2025 से शामिल हो रहे हैं। अब फर्म मेरसर्स शिवाय ट्रैकटर्स में दो भागीदार रहेंगे, प्रथम भागीदार श्री महेंद्र कुमार तिवारी पिता श्री रामभरोस तिवारी और दूसरा भागीदार श्री अभिषेक सिंह पिता श्री हीरामणि सिंह फर्म मेरसर्स शिवाय ट्रैकटर्स में बने रहेंगे, चालू रहेंगे।

मेरसर्स शिवाय ट्रैकटर्स

MAHENDRA KUMAR TIWARI

(भागीदार).

(G-906)

CHANGE OF NAME

I, Suvarna Gautame hereby declare that my maiden name was Sohini Abhanawe D/o. Dilip Abhanawe. But After my marriage, we have changed my name and surname as Sohini Abhanawe To Suvarna Gautame W/o. Vaibhav Gautame, So from now and in future I will be known as Suvarna Gautame for all purpose.

Old Name	New Name
(SOHINI ABHANAWE)	(SUVARNA GAUTAME)
D/o. Dilip Abhanawe	W/o Vaibhav Gautame
(G-907)	Add.- 110 A, Brij Vihar Colony Near, Vaishali Nagar, Annapurna Mandir Main Road, Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शकुन्तला शर्मा पति विजय शर्मा है, किन्तु मेरे बैंक में मेरा घर का नाम शोभा शर्मा लिखा गया है। प्रकाशन उपरांत बैंक सहित, सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में शोभा शर्मा के स्थान पर सही नाम शकुन्तला शर्मा ही लिखा व पढ़ा जावे।

<p style="text-align: center;">पुराना नाम (शोभा शर्मा)</p> <p style="text-align: center;">(G-908)</p>	<p style="text-align: center;">नया नाम (शकुन्तला शर्मा) पति— विजय शर्मा पता— 201, आर.एन.टी. मार्ग, जिला इन्दौर (म.प्र.).</p>
---	--

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम आशीष कुमार जैन था, जिसमें अब बदलाव करके आशीष जैन कर लिया है। अतः मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे बदले हुए नाम आशीष जैन से ही लिखा व पढ़ा जावे।

<p style="text-align: center;">पुराना नाम (आशीष कुमार जैन)</p> <p style="text-align: center;">(G-909)</p>	<p style="text-align: center;">नया नाम (आशीष जैन) पता— आनंद बूट हाउस, मरिजद वार्ड बीना, जिला सागर (म.प्र.).</p>
---	---

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम मेघा वर्मा (Megha Verma) (जन्म प्रमाण पत्र व स्कूल) में है, किन्तु उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम पूर्ति (Purti) लिखा गया है, अतः उसके आधार कार्ड सहित उसके सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में उसे उसके सही नाम मेघा वर्मा (Megha Verma) से ही लिखा व पढ़ा जावे।

<p style="text-align: center;">प्रार्थी मुकेश वर्मा पता— 95, केलोदकर्ताल खण्डवा रोड, जिला इन्दौर (म.प्र.).</p> <p style="text-align: center;">(G-910)</p>

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम गौतम वर्मा पुत्र श्री विजय वर्मा अंकित है। जबकि मेरे पिता का पूर्ण नाम विजय कुमार वर्मा उर्फ विजय वर्मा एवं विजय कुमार पिता श्री हरिओम के नाम से जाना जाता था। अतः तीनों नाम का एक ही व्यक्ति है। प्रकाशन उपरांत मुझे गौतम वर्मा पुत्र विजय कुमार वर्मा के नाम से जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(गौतम वर्मा)

पुत्र— श्री विजय कुमार वर्मा।

(G-911)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेश कुमार प्रजापति जो कि मेरे सेवा अभिलेख में राजेश कुमार प्रजापति है, जिसमें उपनाम सुधरवाने हेतु विज्ञप्ति के माध्यम से उपनाम में “प्रजापति” के स्थान पर “प्रजापति” किया जाना है, अतः सूचित हो।

पुराना नाम

नया नाम

(राजेश कुमार प्रजापति)

(राजेश कुमार प्रजापति)

(G-912)

पता— इन्द्रा नगर, विस्तार नीमच।

नाम परिवर्तन

मैं, वैशाली जैन पत्नी श्री विजय जैन, निवासी—गोविन्द कालोनी, बार्ड 08, आमला, जिला बैतूल, (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश अर्चना जैन नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे अन्य शासकीय दस्तावेजों पर वैशाली जैन (VAISHALI JAIN) पत्नी श्री विजय जैन नाम दर्ज है जो कि सही है, अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम वैशाली जैन (VAISHALI JAIN) पत्नी श्री विजय जैन से जाना—पहचाना व लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(अर्चना जैन)

(वैशाली जैन)

(G-913)

(VAISHALI JAIN)

पत्नी— श्री विजय जैन।

नाम परिवर्तन

मैं, नाथूलाल राजहंश पुत्र महिलाल राजहंश, EX ARMY No 13935988 ESM, निवासी—मकान नं. 40 / ए, मयूर नगर, गली नं. 5, मुसाखेड़ी, इंदौर, (म.प्र.). यह कि मेरे सर्विस रिकॉर्ड में त्रुटिवश नाथू लाल (NATHU LAL) नाम दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आदि दस्तावेजों पर पूरा नाम नाथूलाल राजहंश (NATHULAL RAJHANS) पुत्र श्री महिलाल राजहंश दर्ज है जो कि सही है, अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम नाथूलाल राजहंश (NATHULAL RAJHANS) पुत्र श्री महिलाल राजहंश से जाना—पहचाना व लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(नाथू लाल)

(नाथूलाल राजहंश)

(NATHU LAL)

(NATHULAL RAJHANS).

(G-914)

पुत्र— श्री महिलाल राजहंश।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मैं, दुलारी बाई (Dulari Bai) पत्नी स्व. भीम सिंह (Bheem Singh), निवासी-58, ग्राम सींगपुरा, कुकथरी, अम्बाह, जिला मुरैना (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम जानकी (Janki) पत्नी स्व. श्री भीम सिंह (Bheem Singh) अंकित है, किंतु मेरा सही नाम दुलारी बाई (Dulari Bai) पत्नी स्व. भीम सिंह (Bheem Singh) है। प्रकाशन उपरांत मुझे दुलारी बाई (Dulari Bai) पत्नी स्व. भीम सिंह (Bheem Singh) के नाम से जाना—पहचाना पढ़ा, सुना, समझा एवं अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

पुराना नाम

(जानकी)
(JANKI)

(G-915)

नया नाम

(दुलारी बाई)
(DULARI BAI)
पत्नी—स्व. भीम सिंह
(BHEEM SINGH).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शीला सचदेव पत्नी श्री जयपाल सचदेव, निवासी—ई-7 / 472, अपोजिट हनुमान मंदिर, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.). मेरा वास्तविक व सही नाम शीला सचदेव (SHEELA SACHDEV) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश शीवांती सचदेव (SHEEWANTI SACHDEV) हो गया है, अब मैं, अपने सही नाम शीला सचदेव (SHEELA SACHDEV) के नाम से जानी—पहचानी जाऊंगी एवं सभी शासकीय अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम प्रचलित रहेगा।

पुराना नाम

(शीवांती सचदेव)

(G-916)

नया नाम

(शीला सचदेव)
पत्नी—श्री जयपाल सचदेव.

नाम परिवर्तन

मैं, रवि शंकर तिवारी आ. श्री राजेश्वरी प्रसाद तिवारी, निवासी—डी 1, चंडीघाम परिसर, बुलबुल विद्यालय के पास, नया राम नगर, अमखेड़ा जबलपुर (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण—पत्र में उसका सही नाम पारस तिवारी दर्ज है किंतु उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश गलत नाम अर्थव्व तिवारी अंकित हो गया है। इसलिए मेरे पुत्र को उसके सही नाम पारस तिवारी के नाम से ही जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(G-917)

(रवि शंकर तिवारी).

CHANGE OF NAME

Before marriage my name was SHOBHA MOOLCHANDANI D/o SRI KANHAYALAL. After marriage I have changed my name as VARSHA BINWANI W/o ANIL KUMAR BINWANI. I will be known by the new name VARSHA BINWANI W/o ANIL KUMAR BINWANI.

Old Name

(SHOBHA MOOLCHANDANI)

New Name

(VARSHA BINWANI)

Add.- Swarnkar Colony,
VIDISHA (M.P.).

(G-918)

CHANGE OF NAME

I BHAWANA MODYANI D/o HARESH MODYANI have changed my name to HEER SANGTANI W/o DURGESH SANGTANI and now I would be known as HEER SANGTANI W/o DURGESH SANGTANI.

Old Name (BHAWANA MODYANI) (G-919)	New Name (HEER SANGTANI) Add.- 51-A-8, Sethi Nagar, Ujjain (M.P.).
---	--

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती रितु गुप्ता पति रोमेश गुप्ता, निवासी –वार्ड क्रमांक 11, हाउसिंग बोर्ड बरती मकान 320, उमरिया, जिला उमरिया। मेरा विवाह श्री रामेश गुप्ता के साथ हुआ है विवाह पूर्व मेरा नाम कु. कुमुद रावत था विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमती रितु गुप्ता हो गया है। अब इसी नाम से सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेज में पढ़ा, लिखा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम (कु. कुमुद रावत)	नया नाम (श्रीमती रितु गुप्ता) पत्नी— रोमेश गुप्ता।
------------------------------------	--

(G-920)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स फेयरडील मिनरल्स कारी 28/2 किले का मैदान कंचन लॉज टीकमगढ़ पंजीयन क्रमांक 1133 सन् 1986–87 दिनांक 4–9–1986 पर पंजीकृत है। उक्त फर्म में पंजीयन के समय दिनांक 30–10–1985 को पुत्ती लाल तिवारी, डॉ. रामनारायण पाण्डे, प्रकाश नारायण भटनागर व डॉ. राजेन्द्र कुमार जैन भागीदार थे। उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 4–12–2016 को श्री पुत्ती लाल तिवारी के मृत्यु होने के कारण फर्म के भागीदारी से स्वतः पृथक हो गये। जिसका विलेख दिनांक 5–12–2016 को निष्पादित किया गया है। उक्त फर्म की रचना परिवर्तन दिनांक 1–5–2021 को डॉ. रामनारायण पाण्डे व डॉ. राजेन्द्र कुमार जैन फर्म के भागीदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गये। वर्तमान में भागीदार न होने के कारण फर्म को उक्त दिनांक 1–5–2021 को भंग कर दिया गया है। फर्म के भागीदारों के मध्य कोई भी लेनदारी व देनेदारी शेष नहीं है।

फर्म— मेसर्स फेयरडील मिनरल्स कारी
प्रकाश नारायण भटनागर
(भागीदार)
पता— 28/2 किले का मैदान,
कंचन लॉज, टीकमगढ़ (म.प्र.)।

(G-921)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अभिलाषा पुरी पुत्री श्री सुभाष पुरी गोस्वामी, निवासी—बजरंग मोहल्ला बडोरा बैतूल (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम अभिलाषा पुरी (ABHILASHA PURI) है, त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरा नाम अभिलाषा पुरी गोस्वामी हो गया है, अब मैं, अपने वास्तविक नाम अभिलाषा पुरी (ABHILASHA PURI) के नाम से जानी जाऊंगी, एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यहीं नाम रहेगा।

पुराना नाम (अभिलाषा पुरी गोस्वामी)	नया नाम (अभिलाषा पुरी) (ABHILASHA PURI).
---	--

(G-922)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ताज खान आत्मज श्री मान खां निवासी—ग्राम अटवास, तहसील सतवास, वार्ड क्र.—13, देवास (म.प्र.). मेरे पुत्र का वास्तविक नाम आफताब खान (AFTAB KHAN) है, त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम रमजान हो गया है, अब मेरा पुत्र अपने वास्तविक नाम आफताब खान (AFTAB KHAN) के नाम से जाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का यहाँ नाम रहेगा।

पुराना नाम (रमजान)	आवेदक (ताज खान) नया नाम आफताब खान (AFTAB KHAN).
(G-923)	

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विजय राम धाकड़ आत्मज श्री रामकिशन धाकड़ निवासी—ग्राम मंगरोल, तहसील बरेली जिला रायसेन (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम विजय राम धाकड़ (VIJAY RAM DHAKAD) है, त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरा नाम विजय सिंह धाकड़ हो गया है, अब मैं, अपने वास्तविक नाम विजय राम धाकड़ (VIJAY RAM DHAKAD) के नाम से जाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यहाँ नाम रहेगा।

पुराना नाम (विजय सिंह धाकड़)	नया नाम. (विजय राम धाकड़) (VIJAY RAM DHAKAD).
(G-924)	

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संतोष साहू आत्मज श्री जगदीश साहू निवासी—वार्ड क्र.—05, पटेल मोहल्ला, तिराहा चौक, हरदा (म.प्र.). मेरे पुत्र का वास्तविक नाम आयुष साहू (AAYUSH SAHU) है, त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम पियूष (PIYUSH) हो गया है, अब मेरा पुत्र अपने वास्तविक नाम आयुष साहू (AAYUSH SAHU) के नाम से जाना जायेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का यहाँ नाम रहेगा।

पुराना नाम (पियूष) (PIYUSH)	आवेदक (संतोष साहू) नया नाम (आयुष साहू) (AAYUSH SAHU)
(G-925)	

नाम परिवर्तन

मैं, सुदामा शर्मा (SUDAMA SHARMA) पुत्र श्री कालीचरन शर्मा सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम बल्लू शर्मा (BALLU SHARMA) था जो मेरी पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, सुदामा शर्मा पुत्र श्री कालीचरन शर्मा के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ जो मेरे अन्य शासकीय प्रपत्रों लिखा गया है। सुदामा शर्मा एवं बल्लू शर्मा दोनों मेरे ही नाम हैं प्रकाशन उपरांत मुझे सुदामा शर्मा लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम (बल्लू शर्मा)	नया नाम (सुदामा शर्मा) पुत्र—श्री कालीचरन शर्मा पता—ग्राम जौरा, खुर्द, जिला मुरैना (म.प्र.).
(G-926)	

नाम परिवर्तन

मैं, मंजरी चौधरी (MANJARI CHAUDHARY) पति श्री राजेंद्र चौधरी सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम मंजरी कपूर (MANJARI KAPOOR) पुत्री श्री स्वतंत्र कुमार कपूर था जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण—पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है विवाह पश्चात् मेरा घर का नाम लवली चौधरी (LOVELY CHAUDHARY) था जो मेरे आधार कार्ड अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, मंजरी चौधरी पत्नी श्री राजेंद्र चौधरी के नाम से जानी—पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे बैंक एवं अन्य प्रपत्रों लिखा गया है। मंजरी कपूर, लवली चौधरी एवं मंजरी चौधरी तीनों मेरे ही हैं अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मंजरी चौधरी लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

आवेदक

(मंजरी चौधरी)

पत्नी— श्री राजेंद्र चौधरी
पता—12ए, रतन कॉलोनी, जीवाजीगंज
गिर्द लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-927)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the firms "M/s SUBHLAXMI INFRATECH" of B-203-204, SAGAR PARADISE, NEAR BIMR HOSPITAL, GOLA KA MANDIR, GWALIOR (M.P.) 474005 *Vide* Registration No. Reg. No. 02-42-01-0255-19, dated 16-12-2019 has undergone reconstitution in the partnership, whereby from 1-4-2024, Smt Sunita Sharma W/o Shri V. K. Sharma is joining the Firm as a partner. And Address of the firm has been changed from B-203-204, SAGAR PARADISE, NEAR BIMR HOSPITAL, GOLA KA MANDIR, GWALIOR (M.P.) to VILLAGE JIGSOLI, ATAL GATE, PURANI CHHAWANI GWALIOR (M.P.)

M/s SHUBHLAXMI INFRATECH

MANISH KHANDELWAL

(Partner).

(G-928)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स आदित्य इन्टरप्राइजेज फर्म जो सी-5, आदित्य रेसीडेन्सी, सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02-42-01-0203-17 दिनांक 13-11-2017 है, जिसमें दिनांक 22-12-2024 को भागीदार श्री नवीन कुमार निगोटिया पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता निवासी-202, बिहारीकुंजे अपार्टमेंट निम्बालकर की गोठ नं. 02, गिर्द लश्कर, ग्वालियर एवं भगीदार श्रीमती वर्षा निगोटिया पुत्री श्री राम बाबू गुप्ता निवासी-202, बिहारी कुंज अपार्टमेंट, निम्बालकर की गोठ, नं 02 लश्कर, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये।

फर्म— मैसर्स आदित्य इन्टरप्राइजेज

श्रीराम शर्मा

(भागीदार)

पता— सी-5 आदित्य रेसीडेन्सी,
सचिन तेंदुलकर मार्ग, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-929)

नाम परिवर्तन

मैं, सुखचरन यादव आत्मज श्री दयाराम यादव निवासी मु. पो. बण्डोल जिला सिवनी (म.प्र.). सर्व साधारण को सूचित करता हूँ मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम सुखचरन यादव अंकित है। और कुछ दस्तावेजों में बबलू यादव लिखा गया है जो मेरे घर का नाम है। इस प्रकाशन के बाद मुझे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अन्य दस्तावेजों में मुझे बबलू यादव के नाम जाना—पहचाना, लिखा, पढ़ा एवं पुकारा जाए।

प्रार्थी

(बबलू यादव)

पिता— श्री दयाराम यादव
पता—मु.पो. बण्डोल,
जिला सिवनी (म.प्र.).

(G-930)

उपनाम परिवर्तन

यह कि, मैं अदिति मालवीया ADITI MALVIYA पति श्री प्रतीक मालवीया मेरे पति ने गोत्र के अनुसार उपनाम परिवर्तन करने के पश्चात् में अपना उपनाम भी परिवर्तित करवाना चाहती हूँ. मेरा नाम शादी से पूर्व संतोषी मालवीया था शादी होने पर नाम अदिति मालवीया हुआ. अब उसे परिवर्तित कर अदिति शर्मा करवाना चाहती हूँ. संतोषी मालवीया अदिति मालवीया एवं अदिति शर्मा एक ही महिला के नाम हैं. प्रकाशन के उपरांत मुझे सभी शासकीय/अर्धशासकीय एवं अन्य दस्तावेजों में अदिति शर्मा ADITI SHARMA पत्नी श्री प्रतीक शर्मा के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं पुकारा जाये.

पुराना नाम	नया नाम
(अदिति मालवीया)	(अदिति शर्मा)
पत्नी— श्री प्रतीक मालवीया	पत्नी— श्री प्रतीक शर्मा। निवासी— 207, पलसीकर कॉलोनी, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-931)

नाम परिवर्तन

मैं, कैलाश ठाकरे (Kailesh Thakre) आत्मज श्री मायादीन ठाकरे सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे सभी शासकीय, अर्धशासकीय, अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम कैलाश ठाकरे (Kailesh Thakre) आत्मज श्री मायादीन ठाकरे है जो कि सही है, परंतु त्रुटि से आधार कार्ड में मेरा नाम कैलाश ठगेले (Kailash Thagele) अंकित हो गया है जो कि गलत है. प्रकाशन के बाद मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में कैलाश ठाकरे (Kailesh Thakre) आत्मज श्री मायादीन ठाकरे के नाम से ही जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम	नया नाम
(कैलाश ठगेले)	(कैलाश ठाकरे)
(KAILASH THAGELE)	(KAILESH THAKRE)

आत्मज— श्री मायादीन ठाकरे.
पता— F 2, गणपति अपार्टमेंट फेस 4,
सर्वधर्म सेक्टर 4, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-932)

नाम परिवर्तन

मैं, सीमा ठाकरे पत्नी श्री कैलाश ठाकरे, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे सभी शासकीय, अर्धशासकीय, अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सीमा ठाकरे (Seema Thakre) पत्नी श्री कैलाश ठाकरे है जो कि सही है, परंतु त्रुटि से आधार कार्ड में मेरा नाम सीमा ठगेले (Seema Thagele) अंकित हो गया है जो कि गलत है. प्रकाशन के बाद मुझे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में सीमा ठाकरे पत्नी श्री कैलाश ठाकरे के नाम से ही जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम	नया नाम
(सीमा ठगेले)	(सीमा ठाकरे)
(SEEMA THAGELE)	(SEEMATHAKRE)

पत्नी— श्री कैलाश ठाकरे.
पता— F 2, गणपति अपार्टमेंट फेस 4,
सर्वधर्म सेक्टर A, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-933)

नाम परिवर्तन

मैं, अरुण कुमार गुप्ता (Arun Kumar Gupta) पुत्र श्री गनपत राम गुप्ता सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम अरुण कुमार गुप्ता (Arun Kumar Gupta) पुत्र श्री गनपत राम गुप्ता है जो कि सही है, परंतु मेरे शेयर्स में (Arun Kumar Nikhra), (Arun kumar nikhra), (Arun Kumar neekhra) पुत्र श्री गनपत राम गुप्ता अंकित है। (Arun Kumar Gupta), (Arun Kumar Nikhra), (Arunkumar nikhra) एक ही व्यक्ति के नाम हैं। इस प्रकाशन के बाद मुझे अरुण कुमार गुप्ता (Arun Kumar Gupta) पुत्र श्री गनपत राम गुप्ता के नाम से ही जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम

(अरुण कुमार निखरा)
 (ARUNKUMAR NIHRA)
 (ARUN KUMAR NIHRA)
 (ARUN KUMAR NEEKHRA)

(G-934)

नया नाम

(अरुण कुमार गुप्ता)
 (ARUN KUMAR GUPTA)
 पुत्र— श्री गनपत राम गुप्ता।
 पता— 114, विजया नगर, महल परिसर,
 चैतक पूरी, लश्कर, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, वासदेव नाथानी (Vasdev Nathani) आत्मज ठाकुमल नाथानी सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ, मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा अन्य सभी दस्तावेजों में वासदेव नाथानी (Vasdev Nathani) अंकित है। किंतु आधार कार्ड में त्रुटि से वासुदेव नाथानी (Vasudev Nathani) अंकित हो गया है। प्रकाशन के बाद मुझे सभी दस्तावेजों में वासदेव नाथानी (Vasdev Nathani) के नाम जाना—पहचाना लिखा, पढ़ा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम

(वासुदेव नाथानी)
 (VASUDEV NATHANI)

(G-935)

नया नाम

(वासदेव नाथानी)
 (VASDEV NATHANI)
 निवासी— बी एफ 65, एमओ.जी.,
 लाइंस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
 इन्दौर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है हमारी फर्म में नीलकंठ सेल्स (M/S NEELKANTH SALES) के नाम से एक भागीदारी फर्म है जिसका पंजीयन क्र. 04-17-01-147-09 दिनांक 2-2-2009 है। इस फर्म से दिनांक 27-2-2025 से तीन भागीदार (1) श्री स. जसमीत सिंह बेदी पिता स्वं. श्री हरपाल सिंह बेदी, निवासी—नरसिंहपुर रोड, छिन्दवाडा तह. एवं जिला छिन्दवाडा (म.प्र.) (2) श्रीमती रमन प्रीत कौर बेदी पति श्री स. अजिंदर सिंह बेदी, निवासी—नरसिंहपुर रोड, छिन्दवाडा, तह. एवं जिला छिन्दवाडा (म.प्र.) (3) श्रीमती सुरेन्द्रकौर संभरवाल पति श्री स. कुलविन्दर संभर, निवासी—नरसिंहपुर रोड, छिन्दवाडा, तह. एवं जिला छिन्दवाडा (म.प्र.) निकल रहे हैं एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 27-2-2025 से एक भागीदार (1) श्री नृपेन्द्र प्रमोद सिंह पिता श्री प्रमोद सिंह, निवासी—भंडारा रोड, नागपुर, तह. एवं जिला नागपुर (महा.) शामिल हो रहे हैं। अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 27-2-2025 से संशोधन उपरांत दो साझेदार रहेंगे।

फर्म— M/S NEELKANTH SALES

श्री स. अजिंदर सिंह बेदी।

(पार्टनर)।

(G-936)

नाम परिवर्तन

मैं, नवरत्न सारस्वत यह सूचित करता हूं कि मेरा पूर्व में नाम नवरत्न कुमार सारस्वत (OURATN KUMAR SARASWAT) आत्मज श्री डी. एस. सारस्वत था, जो अब बदलकर नाम नवरत्न सारस्वत आत्मज श्री डी. एस. सारस्वत हो गया है। अब भविष्य में मुझे नवरत्न सारस्वत (NAVRATNA SARASWAT) के नाम से जाना जावे।

प्रार्थी

(नवरत्न सारस्वत)

निवासी—212, सी—सेक्टर,

सर्वधर्म कॉलोनी, कोलार,

भोपाल (म.प्र.)

(G-937)

नाम परिवर्तन

मैं, यूनुस खां आत्मज इब्राहीम खां, निवासी वार्ड नं—04, छोटी मसिजद के पास, सिलवानी, जिला रायसेन (म.प्र.). असमत जहां (ASMAT JAHAN) मेरी पुत्री है, जिसका सही नाम असमत जहां (ASMAT JAHAN) है, उसका यही नाम उसके जन्म प्रमाण—पत्र में अंकित है जबकि त्रुटिवश मेरी पुत्री असमत जहां के आधार कार्ड में उसका गलत नाम यूनुस (YUNUS) लिखा है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम असमत जहां (ASMAT JAHAN) पुत्री श्री यूनुस खां (YUNUS KHAN) है। उक्त दोनों नाम अर्थात् असमत जहां (ASMAT JAHAN) एवं यूनुस (YUNUS) मेरी पुत्री का स्वयं का ही नाम है। प्रकाशन के उपरांत मेरी पुत्री असमत जहां (ASMAT JAHAN) पुत्री श्री यूनुस खां (YUNUS KHAN) के नाम से जाना—पहचाना एवं पढ़ा, लिखा दर्ज किया जाये।

पुराना नाम

नया नाम

(यूनुस)

(असमत जहां)

(YUNUS)

(ASMAT JAHAN).

(G-938)

नाम परिवर्तन

मैं, संजय चौरसिया (SANJAY CHOURASIYA) पुत्र श्री कडोरी, निवासी—छपरा, सागर (म.प्र.). मेरा पूर्व नाम संजू चौरसिया (SANJU CHOURASIYA) है जो कि मेरे पूर्व के आधार कार्ड में अंकित है एवं मेरा वर्तमान नाम संजय चौरसिया (SANJAY CHOURASIYA) पुत्र श्री कडोरी है जो कि मेरे वर्तमान आधार कार्ड में अंकित है जो कि मेरा ही नाम है। उक्त दोनों नाम संजय चौरसिया (SANJAY CHOURASIYA) एवं संजू चौरसिया (SANJU CHOURASIYA) मेरे स्वयं के ही नाम हैं। प्रकाशन उपरांत मुझे संजय चौरसिया (SANJAY CHOURASIYA) पुत्र श्री कडोरी पढ़ा, समझा, लिखा, एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(संजू चौरसिया)

(संजय चौरसिया)

(SANJU CHOURASIYA)

(G-939)

(SANJAY CHOURASIYA).

CHANGE OF NAME

I, LAKHAN LAL, ADDRESS V. M. COMPANY KE PICHE, RAJAKHEDI, MAKRONIA, TEHSIL SAGAR, DISTT. SAGAR STATE (M.P.). I HAVE CHANGED MY NAME FROM LAKHAN LAL TO LAKHAN LAL PANDEY.

Old Name

New Name

(LAKHAN LAL)

(LAKHAN LAL PANDEY).

(G-940)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्ववत् नाम आशी दुबे पिता श्री सुरेश दुबे था, जिसे मैं परिवर्तित कर आशी कुंटे पिता श्री संतोष कुंटे करना चाहती हूं मेरा पूर्ववत् नाम "आशी दुबे पिता श्री सुरेश दुबे" नाम का परित्याग कर आगे से आशी कुंटे पिता श्री संतोष कुंटे नाम से ही जानी, पहचानी जाऊंगी।

प्रार्थीनी

(आशी कुंटे)

पिता— श्री संतोष कुंटे।

(G-941)

नाम परिवर्तन

मैं, माया सातनकर पुत्री श्री सीताराम सातनकर, निवासी—वार्ड 1 से 236 तक, पी.एच. नं. 03, ग्राम कनौजिया, तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश माया नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरे सर्विस रिकार्ड में माया सातनकर (MAYA SATANKAR) नाम दर्ज है जो कि सही है, अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में सही नाम माया सातनकर (MAYA SATANKAR) से जाना—पहचाना व लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(माया)

नया नाम

(माया सातनकर)

(MAYA SATANKAR).

(G-942)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे. BIHATA INDANE GRAMIN VITRAK पंजीयन क्रमांक 05—26—04—0205—15 पंजीयन दिनांक 3—3—2015 पूर्ण — Plot No 1139 / 1 P.H. 60, Village & Post Bihata, तहसील उचेहरा जिला सतना (म.प्र.) पिन कोड 485661 कार्यालय फर्म एवं संस्थाएं रीवा शहडोल संभाग रीवा से पंजीकृत फर्म है। यह कि वर्तमान में इस भागीदारी फर्म में पूर्व में (1) Mr. Indrajeet Singh (2) Mrs. Sarita Devi पार्टनर थे, जिसमें दिनांक 29—1—2025 को Mrs. Sarita Devi W/o Mr. Indrajeet Singh Aged 54 Years, Hindu Residing At Gram Bihata, Post bihata, Tehsil-Unchehra, Distt. Satna, Madhya Pradesh Pin code 485661 अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये। निकलने वाले साझेदार की किसी भी प्रकार की लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है। जिन्होंने आपसी सहमति से दिनांक 29—1—2025 को फर्म में नवीन पार्टनर 1. Mrs. Shikha Singh W/o Mr. Ramesh Singh, Aged 42 Years, Hindu Residing at Bada Tola, Gram And Post Bihata, Tehsil & Unchera District Satna Madhya Pradesh Pin code 485661 को सम्मिलित किया गया है।

BIHATA INDANE GRAMIN VITRAK

इन्द्रजीत सिंह

सरिता देवी

शिखा

(भागीदार)।

(G-943)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम चंद्रा चेलानी (CHANDRA CHELANI) पिता श्री भीष्म चेलानी था, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है, श्री गिरीश वाधवानी से विवाह के उपरान्त मेरा नाम कनक वाधवानी (KANAK WADHWANI) हो गया था, जो मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में अंकित है, किन्तु गिरीश वाधवानी से विवाह विच्छेद उपरान्त पुनः मेरा नाम चंद्रा चेलानी (CHANDRA CHELANI) पिता श्री भीष्म चेलानी हो गया है, अतः भविष्य में मुझे चंद्रा चेलानी (CHANDRA CHELANI) पिता श्री भीष्म चेलानी के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(कनक वाधवानी)

(KANAK WADHWANI)

(G-944)

नया नाम

(चंद्रा चेलानी)

(CHANDRA CHELANI)

पिता— श्री भीष्म चेलानी

पता—99, बी.के. सिंधी कॉलोनी

इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का वास्तविक व सही नाम माधव राठौर (MADHAV RATHORE) पिता सुनिल राठौर है जो कि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं आधार कार्ड पर अंकित है. किन्तु मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों पर त्रुटिवश उसका नाम युवराज राठौर (YUVRAJ RATHORE) दर्ज हो गया है, अतः भविष्य में मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों पर युवराज के स्थान पर उसका सही नाम माधव राठौर (MADHAV RATHORE) पिता सुनिल राठौर लिखा, पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(युवराज राठौर)

(YUVRAJ RATHORE)

(G-945)

नया नाम

(माधव राठौर)

(MADHAV RATHORE)

पिता— सुनिल राठौर

पता—139 / 1, भील पल्टन रोड,

मानपुर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम शशिकांत तायडे (SHASHIKANT TAYADE) पिता श्री त्रिम्बक राव तायडे है, जो की मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं पेन कार्ड पर दर्ज है किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा नाम एस.के. तायडे (S.K.TAYADE) पिता त्रिम्बक राव तायडे दर्ज हो गया है, अतः भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर एस.के. तायडे के स्थान पर शशिकांत तायडे (SHASHIKANT TAYADE) पिता श्री त्रिम्बक राव तायडे लिखा—पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(एस.के. तायडे)

(S.K. TAYADE)

(G-946)

नया नाम

(शशिकांत तायडे)

(SHASHIKANT TAYADE)

पिता— श्री त्रिम्बक राव तायडे

पता—77, अंसल टाउनशिप,

तलावली चंदा, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम योगेन्द्र चोलकर (YOGENDRA CHOLKAR) पिता श्री केदारनाथ चोलकर है, जो की मेरे बोटर कार्ड एवं मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों पर दर्ज है किन्तु मेरे आधार कार्ड पर त्रुटीवश मेरा नाम मोहम्मद अली रजा (MOHAMMAD ALI RAZA) पिता केदारनाथ दर्ज हो गया है, अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम योगेन्द्र चोलकर (YOGENDRA CHOLKAR) पिता श्री केदारनाथ चोलकर के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम
(मोहम्मद अली रजा)
(MOHAMMAD ALI RAZA)

नया नाम
(योगेन्द्र चोलकर)
(YOGENDRA CHOLKAR)
पिता— श्री केदारनाथ चोलकर
पता—215, ग्राम सोडलपुर, तह. टिमरनी
जिला हरदा (म.प्र.).

(G-947)

नाम परिवर्तन

मैं, अर्चना ठाकुर पुत्री श्री मांगीलाल ठाकुर निवासी—एम.आई.जी. 68, श्री रामेश्वरम् एक्सटेंशन, बागमुगालिया, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरा विवाह उपरांत मेरा नाम अर्चना वामन पत्नी श्री विजयशंकर वामन था. यह कि मेरे पति श्री विजयशंकर वामन से मेरा तलाक हो चुका है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे पूर्व नाम अर्चना ठाकुर पिता श्री मांगीलाल ठाकुर के नाम से जाना—पहचाना व पढ़ा, लिखा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अर्चना वामन)
पति— विजयशंकर वामन

नया नाम
(अर्चना ठाकुर)
पिता— श्री मांगीलाल ठाकुर.

(G-948)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, निर्मला उपाध्याय पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय, पुत्री श्री अयोध्या प्रसाद पाराशन, निवासी—54, मानिक विलास, रेलवे स्टेशन के पास, गांधी रोड, ग्वालियर, मेरा विवाह से पूर्व नाम सावित्री देवी था, विवाह पश्चात् मेरा नाम निर्मला उपाध्याय हो गया था. मेरे अन्य दस्तावेज पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि मैं मेरा नाम निर्मला उपाध्याय ही अंकित है. अतः सावित्री देवी एवं निर्मला उपाध्याय दोनों एक ही महिला के नाम हैं. मेरा सही नाम निर्मला उपाध्याय (NIRMALA UPADHYAY) पत्नी श्री राजेन्द्र उपाध्याय ही पढ़ा, लिखा व पहचाना जावे.

पुराना नाम
(सावित्री देवी)
(SAVITRI DEVI)

नया नाम
(निर्मला उपाध्याय)
(NIRMALA UPADHYAY)
पिता— श्री राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय
निवासी—54, मानिक विलास,
गांधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-949)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम रीना दर्ज हो गया है जबकि मेरी पुत्री का नाम अनिता तंवर है. मैं, अपनी पुत्री का नाम रीना के स्थान पर उसका नाम अनिता तंवर कराना चाहता हूँ और भविष्य में मेरी पुत्री इसी नाम से जानी व पहचानी जायेगी

आवेदक

(पुर सिंह)

पुत्र— श्री रंगलाल

निवासी— मूँडला लोधा,
तहसील सारंगपुर, राजगढ़ (म.प्र.).

(G-950)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वर्तमान नाम मूर्ति देवी है और मैं, इसी नाम से जानी एवं पहचानी जाती हूँ एवं मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं मेरे सभी आवश्यक दस्तावेजों में भी मेरा नाम मूर्ति देवी ही अंकित है. मैं, अपना नाम मूर्ति देवी से बदलकर राममूर्ति में परिवर्तित करना चाहती हूँ एवं भविष्य में भी मैं, राममूर्ति के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी एवं मेरे भविष्य में बनने वाली सभी आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेजों में मेरा नाम राममूर्ति ही अंकित किया जावेगा. जिसकी सार्वजनिक सूचना हेतु यह सूचना प्रकाशित की जा रही है.

पुराना नाम

नया नाम

(मूर्ति देवी)

(राममूर्ति).

(G-951)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम नरोत्तम राम तिवारी है जबकि मेरे कुछ शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश नरोत्तम तिवारी अंकित है जबकि मेरा वार्तविक एवं प्रचलित नाम नरोत्तम राम तिवारी है, जो कि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में अंकित है. अब अपना नाम नरोत्तम राम तिवारी अंकित कराना चाहता हूँ.

पुराना नाम

नया नाम

(नरोत्तम तिवारी)

(नरोत्तम राम तिवारी).

(G-952)

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, विजय कुमार आत्मज स्व. श्याम लाल, निवासी—म.न. 1918, डिफेन्स कालोनी, फेस-2, बिलपुरा, वार्ड नंबर 78, थाना रांझी, तहसील रांझी, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरे पिता का नाम श्याम लाल दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, अंकसूची, बैंक पासबुक, ड्रायविंग लायरेस में मेरे पिता का नाम श्याम लाल कनोजिया दर्ज है. मैं, अपने सर्विस रिकार्ड में अपने पिता का नाम श्याम लाल कनोजिया संशोधित कर दर्ज कराना चाहता हूँ. अतः मेरे पिता को श्याम लाल कनोजिया के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा जावे.

आवेदक

(विजय कुमार).

(G-953)

विविध न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास जूनी इन्डौर, क्षेत्र जिला इन्डौर, मध्यप्रदेश
जूनी इन्डौर, दिनांक 7 फरवरी 2025

(फार्म चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1951 तीस (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र. 8283—रीडर—1—25.—आवेदक जय मॉ दुर्गा धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, पता—5—ए, पटेल नगर, मेन रोड, इन्डौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एकट की धारा 4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यायर के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं। निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल—चल संपत्ति का विवरण)

1. जय मॉ दुर्गा धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, पता—5—ए, पटेल नगर, मेन रोड, इन्डौर
2. अचल सम्पत्ति : निरंक
3. चल सम्पत्ति : 10,000

आज दिनांक 7 फरवरी, 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रकाशित किया गया।

(G-954)

प्रदीप सोनी, रजिस्ट्रार

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, सहायक आयुक्त (प्रशासन), सहकारिता, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 31 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत]

क्र.—परिसमापन—2025—78.—कार्यालयीन आदेश क्र.—परि.—16—842, बड़वानी, दिनांक 9 नवम्बर 2016 के द्वारा महालक्ष्मी कुम्भकार सहकारी संस्था, मर्या., पलसूद, जिला. बड़वानी (पंजीयन प्रमाण—पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 216, दिनांक 9 जनवरी 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री जे.एस. रावत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—15—1—डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन महालक्ष्मी कुम्भकार सहकारी संस्था मर्या. पलसूद, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 216, दिनांक 9 जनवरी 1991 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 31 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-955)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत]

क्र.—परिसमापन—2025—81.— कार्यालयीन आदेश क्र.—परि.—16—837 दिनांक 8 मार्च 2016 बड़वानी, दिनांक 11 नवम्बर 2022 के द्वारा मॉ विजयश्री ऑफसेट एवं प्रिटिंग प्रेस सहकारी संस्था, मर्या., बड़वानी जिला बड़वानी (पंजीयन प्रमाण—पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 94, दिनांक 16 अप्रैल 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री बबलू चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—15—1—डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन मॉ विजयश्री ऑफसेट एवं प्रिटिंग प्रेस सहकारी संस्था, मर्या., बड़वानी जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 94, दिनांक 16 अप्रैल 2003 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 31 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-956)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत]

क्र.—परिसमापन—2025—80.— कार्यालयीन आदेश क्र.—परि.—22—931 बड़वानी, दिनांक 6 जुलाई 2018 के द्वारा श्री लक्ष्मी साख सहकारी संस्था, मर्या., बड़वानी जिला बड़वानी (पंजीयन प्रमाण—पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 486, दिनांक 29 अप्रैल 2015 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रभा बघेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश हर सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—15—1—डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन श्री लक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 486, दिनांक 29 अप्रैल 2015 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 31 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-957)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत]

क्र.—परिसमापन—2025—79.— कार्यालयीन आदेश क्र.—परि.—22—766 बड़वानी, दिनांक 18 मई 2022 के द्वारा अम्बेडकर महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, मर्या., बड़वानी जिला बड़वानी (पंजीयन प्रमाण—पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 71, दिनांक 18 अक्टूबर 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रभा बघेल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(4)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश हर सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक —एफ—5—1—99—15—1—डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन अम्बेडकर महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, मर्या., बड़वानी जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 71, दिनांक 18 अक्टूबर 2002 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 31 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-958)

बड़वानी, दिनांक 13 फरवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अन्तर्गत]

क्र.—परिसमापन—2025—119.— कार्यालयीन आदेश क्र.—परि.—18—944 बड़वानी, दिनांक 6 जुलाई 2018 के द्वारा एक्रोमा साख सहकारी संस्था, मर्या., बड़वानी जिला बड़वानी (पंजीयन प्रमाण—पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 314, दिनांक 16 जुलाई 2012 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अन्तर्गत श्री बबलू चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः, मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक —एफ—5—1—99—15—1—डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन एक्रोमा साख सहकारी संस्था, मर्या., बड़वानी जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 314, दिनांक 16 जुलाई 2012 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 13 फरवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-959)

सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक.

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 15 जनवरी 2025

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2025—68.— मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार ख्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रांभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पटेलपुरा लोरांसखुर्द, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रमांक 1427 तथा दिनांक 18 मई 2009 है। संस्था प्रशासक द्वारा प्रस्तुत पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु संस्था सचिव एवं संस्था पर्यवेक्षक से सम्पर्क किया गया। संस्था पर्यवेक्षक द्वारा लिखित में सूचित किया गया है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है। संस्था सचिव द्वारा संस्था को चालू करने में रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है। संस्था पर्यवेक्षक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है। अतः इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पटेलपुरा लोरांसखुर्द, तहसील आष्टा, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया गया है। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69—2 (क) एवं धारा 69—2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं। इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, सुधीर कैथवास, सहायक-रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार (सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पटेलपुरा, लोरांसखुर्द, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रमांक 1427 तथा दिनांक 18 मई 2009 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पटेलपुरा लोरांसखुर्द, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रमांक 1427 तथा दिनांक 18 मई 2009 को 03 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 15 जनवरी 2025 को जारी किया गया।

(G-960)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2025—69.— मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार ख्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रांभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गवाखेड़ा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रमांक 730 तथा दिनांक 20 दिसम्बर 1976 है। संस्था प्रशासक द्वारा प्रस्तुत पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु संस्था सचिव एवं संस्था पर्यवेक्षक से सम्पर्क किया गया। संस्था पर्यवेक्षक द्वारा लिखित में सूचित किया गया है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है। संस्था सचिव द्वारा संस्था को चालू करने में रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है। संस्था पर्यवेक्षक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है। अतः इस प्रकार प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गवाखेड़ा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया गया है। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 2 (क) एवं धारा 69 2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं। इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार (सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गवाखेड़ा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रमांक 730 तथा दिनांक 20 दिसम्बर 1976 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गवाखेड़ा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रमांक 730 तथा दिनांक 20 दिसम्बर 1976 को 03 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ। यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 15 जनवरी 2025 को जारी किया गया।

(G-961)

(कारण बताओ सूचना-पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.-परिसमापन-2025-70.— मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बीसूखेड़ी, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रमांक 1218 तथा दिनांक 21 अप्रैल 2023 है। संस्था प्रशासक द्वारा प्रस्तुत पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु संस्था सचिव एवं संस्था पर्यवेक्षक से सम्पर्क किया गया। संस्था पर्यवेक्षक द्वारा लिखित में सूचित किया गया है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है। संस्था सचिव द्वारा संस्था को चालू करने में रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है। संस्था पर्यवेक्षक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 2 (क) एवं धारा 69 2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं। इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार (सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बीसूखेड़ी, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रमांक 1218 तथा दिनांक 21 अप्रैल 2023 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बीसूखेड़ी, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रमांक 1218 तथा दिनांक 21 अप्रैल 2023 को 03 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ, यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना—पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना—पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 15 जनवरी 2025 को जारी किया गया।

(G-962)

(कारण बताओ सूचना—पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2025—71.— मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रांभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अरनिया जौहरी, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रमांक 1345 तथा दिनांक 11 जुलाई 2006 है। संस्था प्रशासक द्वारा प्रस्तुत पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु संस्था सचिव एवं संस्था पर्यवेक्षक से सम्पर्क किया गया। संस्था पर्यवेक्षक द्वारा लिखित में सूचित किया गया है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है। संस्था सचिव द्वारा संस्था को चालू करने में रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है। संस्था पर्यवेक्षक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है। अतः इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अरनिया जौहरी, तहसील आष्टा, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया गया है। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 2 (क) एवं धारा 69 2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई हैं। इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अरनिया जौहरी, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रमांक 1345 तथा दिनांक 11 जुलाई 2006 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पटेलपुरा लोरांसखुर्द, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन 1345 तथा दिनांक 11 जुलाई 2006 को 03 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ, यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना—पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना—पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 15 जनवरी 2025 को जारी किया गया।

(G-963)

(कारण बताओ सूचना—पत्र)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2025—72.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्व—प्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रांग नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मिट्टुपुरा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रमांक 1590 तथा दिनांक 14 फरवरी 2012 है। संस्था प्रशासक द्वारा प्रस्तुत पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु संस्था सचिव एवं संस्था पर्यवेक्षक से सम्पर्क किया गया। संस्था पर्यवेक्षक द्वारा लिखित में सूचित किया गया है कि संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है। संस्था सचिव द्वारा संस्था को चालू करने में रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है। संस्था पर्यवेक्षक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है। अतः इस प्रकार दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मिट्टुपुरा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया गया है। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 2 (क) एवं धारा 69 2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप—रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मिट्टुपुरा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रमांक 1590 तथा दिनांक 14 फरवरी 2012 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मिट्टुपुरा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रमांक 1590 तथा दिनांक 14 फरवरी 2012 को 03 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ। यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओं सूचना—पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना—पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 15 जनवरी 2025 को जारी किया गया।

(G-964)

सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक।

कार्यालय, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 31 जनवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57—सी के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापक में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अभिभाषक संघ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पी. 18001	118/27—2—1996	297/17—2—1997
2	केन्द्रीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पी. 46053	54/29—9—1973	523/26—3—2019

(1)	(2)	(3)	(4)
3	माँ शीतला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पी. 21824	404/29-3-2008	2366/7-11-2012
4	महर्षि वाल्मीकी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पी. 18050	141/20-1-1988	2451/24-11-2012
5	पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पी. 18044	134/20-4-1987	2454/24-11-2012
6	सुदर्शन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पी. 20948	232/31-10-1975	2460/24-11-2012
7	सत्यराज गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पी. 21748	356/9-9-2003	2462/24-11-2012
8	अमन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पी. 21057	300/19-1-2001	2463/24-11-2012
9	जयगंगा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पी. 21778	376/16-7-2004	2465/24-11-2012
10	विजय लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पी. 21646	311/7-9-2002	2466/24-11-2012

सहकारी अधिनियम की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापक दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय-प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकक्षेण) सहकारी संस्थाएँ जिला ग्वालियर में कार्यालयीन में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाहीन होगे, समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगा तथा संस्था की लेखा-पुस्तिकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख एवं डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उसको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकार मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर समक्ष अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 31 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-965)

नरेश कुमार सगर, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

ग्वालियर, दिनांक 3 फरवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम, 1962 के नियम 57-सी के अंतर्गत]

क्र.-Q.— उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया हैः—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयक क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सीताराम आवास विहीन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	70/1-6-1977	141/24-1-2025
2	न्यायिक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	131/19-1-1987	141/24-1-2025
3	वैकर्स गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	177/18-1-1991	141/24-1-2025
4	शुभाराशि को. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	187/8-2-1992	141/24-1-2025
5	यूको बैंक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	158/7-6-1989	141/24-1-2025
6	आदर्श निकेतन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	58/7-4-1975	141/24-1-2025
7	एल.एन.सी.पी. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	147/1-4-1989	141/24-1-2025

सहकारी अधिनियम की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापक दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वैष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय-प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंक्षेण) सहकारी संस्थाएँ जिला ग्वालियर में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाहीन होंगे, समयावधि तथा उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगा तथा संस्था की लेखा-पुस्तिकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियाँ या अभिलेख एवं डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उसको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकार मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर समक्ष अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 3 फरवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-966)

सुधीर कुमार शर्मा, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

ग्वालियर, दिनांक 3 फरवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57-सी के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयक क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कविता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	386/22-9-2004	1118/31-3-2016
2	जय माता दी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	302/21-12-2001	1119/31-3-2016
3	सहारा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	382/10-8-2004	1120/31-3-2016
4	अरिहंत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	249/5-6-1996	1122/31-3-2016
5	श्री भावकावेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	380/8-4-2016	1121/31-3-2016
6	गंगा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	394/24-10-2005	1124/31-3-2016
7	रामेश्वरम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	378/24-10-2005	1126/31-3-2016
8	सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	267/25-7-1998	1127/31-3-2016
9	साया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	241/17-1-1996	1129/31-3-2016
10	ग्वालियर गौरव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	173/30-9-1989	1922/7-2-2020
11	शंकर महादेव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	318/9-11-2002	1734/18-9-2019

सहकारी अधिनियम की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय-प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकक्षेण) सहकारी संस्थाएं जिला ग्वालियर में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाहीन होंगे, समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगा तथा संस्था की लेखा-पुस्तिकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उसको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकार मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर समक्ष अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 3 फरवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-967)

दीपशिखा जादौन, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

ग्वालियर, दिनांक 3 फरवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम, 1962 के नियम 57—सी के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापक—2025.—उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत परिसमापन नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयक क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	जय भैरव नाथ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	375/12—2—2024	698/25—3—2017
2	चेतक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	49/20—9—1972	1538/25—7—2008
3	नवीन तृतीय श्रेणी कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	408/	686/25—3—2017
4	समर्थ नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	107/26—2—1983	1241/3—6—2017
5	कलेक्ट्रेट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	227/22—6—1995	843/31—5—2019
6	बीरेन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	347/21—8—2003	1727/18—9—2019
7	कृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	350/23—8—2003	1733/18—9—2019
8	जीवांजी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	41/16—10—1966	1739/18—9—2019
9	राजपत्रित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	185/11—1—1992	1740/18—9—2019
10	अल्प आय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	72/25—3—1993	174/18—9—2019
11	अचलेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	341/10—4—2003	1922/7—9—2020
12	गोकुल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	391/15—4—2005	1906/7—5—2020
13	दीप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	289/9—9—2001	1909/7—5—2020
14	शुभ लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	292/7—6—2001	1906/7—9—2020

(1)	(2)	(3)	(4)
15	विस्थाचल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	142/6-9-1990	700/27-6-2024
16	लोकमान्य गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	149/6-9-1989	699/27-6-2024

सहकारी अधिनियम की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापक दिनांक से संस्था की समर्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय-प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकक्षण) सहकारी संस्थाएं जिला ग्वालियर में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाहीन होंगे, समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगा तथा संस्था की लेखा-पुस्तिकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उसको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समर्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकार मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर समक्ष अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 3 फरवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-968)

श्री ओम सिकरया, परिसमापक एवं उप अंकेशक।

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 5 फरवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज के नियम, 1962 के नियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.—परिसमापन—2025.—कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	उप आयुक्त सहकारिता जिला इन्दौर के संशो. आदेश क्र. व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रोफेसर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., जिला इन्दौर.	डी.आर./आय.डी.आर./ 84 दि. 19-11-1966	क्र./निर्वा./2024/ 3529 दि. 30-7-2024
2	सुखसागर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., जिला इन्दौर.	डी.आर./आय.डी.आर./ 323 दि. 12-4-1982	क्र./निर्वा./2024/ 3530 दि. 30-7-2024

(1)	(2)	(3)	(4)
3	चेतना गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., जिला इन्दौर.	डी.आर./आय.डी.आर./ 405 दि. 13-5-1985	क्र.निर्वा./2024/ 2436 दि. 27-6-2024
4	दशमेश दर्शन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., जिला इन्दौर.	डी.आर./आय.डी.आर./ 408 दि. 27-5-1985	क्र.निर्वा./2024/ 2437 दि. 27-6-2024
5	अनु. जाति एवं पिछळा वर्ग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., जिला इन्दौर.	डी.आर./आय.डी.आर./ 500 दि. 18-5-1988	क्र.निर्वा./2024/ 1438 दि. 27-6-2024
6	वृन्दावन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., जिला इन्दौर.	डी.आर./आय.डी.आर./ 23 दि. 8-8-2006	क्र.निर्वा./2024/ 3525 दि. 3-7-2024

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(1) (सी / ग) के अन्तर्गत के उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दस्तावेजों को एदतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह कि अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। तदानुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 5 फरवरी 2025 मेरे द्वारा जारी किया गया है।

संगीता चौहान, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

(G-969)

इसे वेबसाइट www.govtprint.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 मार्च 2025—फाल्गुन 16, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)